

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

### 1. प्रयोज्यता का क्षेत्र एवं पूँजी पर्याप्तता / Scope of Application and Capital Adequacy

#### तालिका डीएफ-1/Table DF-1: प्रयोज्यता का क्षेत्र / Scope of Application

समूह के शीर्ष बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

Name of the head of the banking group to which the framework applies: IDBI Bank Ltd.

(क) समेकन के लिए शामिल समूह संस्थाओं की सूची:

#### (a) List of group entities considered for consolidation:

संस्था का नाम/ निर्गमन देश Name of the entity / Country of incorporation	क्या संस्था लेखांकन क्षेत्र में समेकन के लिए शामिल है Whether the entity is included under accounting scope of consolidation	समेकन की विधि Method of consolidation	क्या संस्था विनियामक क्षेत्र में समेकन के लिए शामिल है Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation	समेकन की विधि Method of consolidation	समेकन की विधि में अंतर का कारण Reasons for difference in the method of consolidation	यदि केवल एक समेकन क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो उसके कारण Reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि./ भारत IDBI Capital Market Services Ltd/India	हाँ Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	हाँ Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. / भारत IDBI Asset Management Ltd/India	हाँ Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	हाँ Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. / भारत IDBI MF Trustee Company Ltd/India	हाँ Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	हाँ Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
आईडीबीआई इंटेक लि. / भारत IDBI Intech Ltd/India	हाँ Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	आईडीबीआई इंटेक लि. एक गैर-वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूँजी में से घटाया गया है. IDBI Intech is a non Financial Entity. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि./ भारत IDBI Trusteeship Services Ltd/India	हाँ Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड एक गैर- वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूँजी में से घटाया गया है. IDBI Trusteeship is a non Financial Entity. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(ख) लेखांकन व विनियामक, दोनों ही प्रयोजनों के लिए समेकन में शामिल न की गई समूह संस्थाओं की सूची:  
समूह की ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसे लेखांकन व विनियामक, दोनों ही प्रयोजनों के लिए समेकन में शामिल न किया गया हो.

(ब) **List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation**

There are no group entities that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

(ग) विनियामक समेकन में शामिल की गई समूह संस्थाओं की सूची:

(द) **List of group entities considered for regulatory consolidation:**

(राशि मिलियन ₹ में) / (Amt. in ₹ Million)

संस्था का नाम/ निगमन देश (जैसा कि (i) क. में दर्शाया गया है.) Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	संस्था का मुख्य कार्य का लाभ Principle activity of the entity	कुल तलन-पत्र इक्विटी (जो विधिक संस्था के लेखांकन तलन-पत्र में दर्शाई गई है.) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल तलन-पत्र परिसंपत्तियाँ (जो विधिक संस्था के लेखांकन तुलन-पत्र में दर्शाई गई है.) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि./ भारत IDBI Capital Market Services Ltd/India	कारोबार में स्टॉक ब्रोकिंग, वित्तीय उत्पादों का वितरण, मर्चेन्ट बैंकिंग, कारपोरेट सलाहकारी सेवाएं आदि Business includes stock broking, distribution of financial products, merchant banking, corporate advisory services, etc.	1281.00	3433.50
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. / भारत IDBI Asset Management Ltd/India	परिसंपत्तियों का प्रबंधन Manages Assets	1150.00	378.59
आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. / भारत IDBI MF Trustee Company Ltd/India	म्यूच्युअल फंड कारोबार की निगरानी व देखभाल Monitors and oversees Mutual Fund business.	2.00	7.12

(घ) सभी सहायक संस्थाओं में पूँजीगत विसंगतियों की समेकित राशि, जिसे समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात्, जिसे घटाया गया हो:

सहायक संस्थाओं में ऐसी कोई पूँजीगत विसंगति नहीं पाई गई है जिसे समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है.

(द) **The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:**

There is no capital deficiency in any subsidiary, which is not included in the regulatory scope of consolidation.

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(ड) बीमा संस्थाओं में बैंक के हित की कुल राशि (यथा चालू खाता मूल्य) जोकि जोखिम-धारित है:

(e) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

(राशि मिलियन ₹ में) / (Amt. in ₹ Million)			
बीमा कंपनी का नाम/ निगमन देश Name of the insurance entities / country of incorporation	संस्था की मूल गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलन-पत्र इक्विटी (जो वैधिक संस्था के लेखांकन तुलन-पत्र में दर्शाई गई है।) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता/ वोटिंग अधिकार के अनुपात का % % of bank's holding in the total equity / proportion of voting power
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इश्योरेस कंपनी लि./ भारत IDBI Federal Life Insurance Company Ltd. / India	जीवन बीमा कारोबार Life Insurance business	7996.74	48 %

जोखिम भारित प्रणाली बनाम पूर्ण कटौती प्रणाली का विनियामक पैंजी पर मात्रात्पक प्रभाव  
Quantitative impact on Regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method

कटौती दृष्टिकोण के तहत पूंजी आवश्यकता में ₹ 2976 मिलियन की वृद्धि होगी  
The capital requirement would increase by ₹ 2976 million under Deduction Approach

(च) बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण या विनियामक पूंजी पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या रुकावट:

बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण या विनियामक पूंजी पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या रुकावट नहीं है।

(f) Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

There are no restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

### तालिका डीएफ-2 /Table DF-2: पूंजी पर्याप्तता / Capital Adequacy

बैंक संभावित जोखिमों के विरुद्ध कुशन के रूप में तथा अपने अंशधारकों, जमाकर्ताओं और लेनदारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए पूंजी रखता है। बैंक की भावी पूंजी आवश्यकता को कारोबार रणनीति के अनुसार अपनी वार्षिक कारोबार योजना के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बैंक की पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने में ब्याज दर, विनियम दर, नकदी स्थिति जैसे कई कारकों पर विचार करने के बाद बाजार के व्यवहार की समीक्षा की जाती है। इसके अलावा तुलन पत्र संरचना, पोर्टफोलियो संमिश्र, वृद्धि दर तथा संबंधित भुनाई जैसे विस्तृत मानदंडों पर भी विचार किया जाता है। साथ ही सटीक प्रक्षेपण दर्शनी के लिए ऋण संरचना और रेटिंग मैट्रिक्स का भी उपादान किया जाता है।

The Bank maintains and manages capital as a cushion against the risk of probable losses and to protect its stakeholders, depositors and creditors. The future capital requirement of the Bank is projected as a part of its annual business plan, in accordance with its business strategy. To calculate the future capital requirements of the Bank a view on the market behaviour is taken after considering various factors such as interest rate, exchange rate and liquidity positions. In addition, broad parameters like balance sheet composition, portfolio mix, growth rate and relevant discounting are also considered. Further, the loan composition and rating matrix is factored in to reflect precision in projections.

1 अप्रैल 2013 से प्रभावी बासेल III के अनुसार बैंक अपने पूंजी अनुपातों की गणना रिजर्व बैंक के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार कर रहा है।

In line with the Basel III effective since April 01, 2013, the Bank has been calculating its capital ratios as per the extant RBI guidelines.

बासेल III मानदंडों का प्रमुख ध्यान टियर I पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा पर तथा इस बात पर है कि बैंक की वर्तमान में उपलब्ध पूंजी की मात्रा विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करती है। वर्तमान में बैंक विभिन्न दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम आवश्यकताओं से बेहतर कार्य-निष्पादन कर रहा है। 31 मार्च 2014 को बैंक की एकल सीआरएआर की स्थिति निम्नानुसार है:

The main focus of Basel III norms is on the quality and quantity of Tier I capital and these regulatory requirements are currently met with the quantum of capital available with the Bank. At present the Bank is operating well above the minimum requirements as stipulated by the guidelines. The Standalone CRAR position of the Bank as on March 31, 2014 is as below:

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

सीआरएआर % / CRAR %	बासेल III / Basel III
सीईटी 1 (%) / CET 1 (%)	7.78%
टीयर 1 (%) / Tier 1 (%)	7.79%
<b>कुल (%) / Total (%)</b>	<b>11.68%</b>

वर्तमान व भावी जोखिमों की पहचान, मात्रा-निर्धारण और पर्वानुमान लगाने के लिए बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूँजी पर्याप्तता और आकलन प्रक्रिया (आईसीएपी) नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत ऐसे जोखिमों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया, बैंक की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के आकलन तथा उनके नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करना और इस प्रकार पूँजी का पर्याप्त स्तर बनाए रखने की प्रक्रिया शामिल है। आईसीएपी कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप से किया जाता है कि बैंक के पास चालू तथा भावी आवश्यकताओं के साथ अपनी विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूँजी का पर्याप्त स्तर है। इस कार्य में विभिन्न दबाव परिदृश्य भी शामिल किए जाते हैं, जो बैंक की जोखिम रूपरेखा तथा पूँजी की स्थिति पर ऐसे गंभीर कितु सत्याभासी परिदृश्य के प्रभाव में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। दबाव परीक्षण कार्य नियमित रूप से किया जाता है और दबाव परिदृश्य के प्रभावों का बैंक की लाभप्रदता और पूँजी पर्याप्तता पर विश्लेषण किया जाता है तथा इसकी रिपोर्ट बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) और निदेशक मण्डल को तिमाही आधार पर दी जाती है।

For identification, quantification and estimation of current and future risks, the Bank has a Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy. The policy covers the process for addressing such risks, measuring their impact on the financial position of the Bank and formulating appropriate strategies for their containment & mitigation; thereby maintaining an adequate level of capital. The ICAAP exercise is conducted periodically to determine that the Bank has adequate capital to meet regulatory requirements in line with its business requirements. The Bank also has a comprehensive stress test policy covering regulatory stress conditions to give an insight into the impact of severe but plausible stress scenarios on the Bank's risk profile and capital position. Stress test exercises are carried out regularly and the impact of stress scenarios on the profitability and capital adequacy of the Bank are analysed and reported to the Risk Management Committee (RMC) of the Board and the Board of Directors on a quarterly basis.

31 मार्च 2014 को समेकित आधार पर बैंक का सीआरएआर निम्नानुसार है :

The Consolidated CRAR position, as on March 31, 2014 is as follows:

	(राशि मिलियन ₹ में ) (Amt. in ₹ million)
<b>पूँजी आवश्यकता / Capital requirement</b>	
<b>ऋण जोखिम पूँजी: / Credit Risk Capital:</b>	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो / Portfolios subject to standardised approach	214810.22
प्रतिभूतिकरण / Securitisation	37.03
<b>बाज़ार जोखिम पूँजी : / Market Risk Capital:</b>	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण / Standardised duration approach	
ब्याज दर जोखिम / Interest Rate Risk	7971.98
विदेशी मुद्रा विनियय जोखिम (स्वर्ण सहित) / Foreign exchange Risk (including Gold)	450.00
इक्विटी जोखिम / Equity Risk	8834.14
<b>परिचालन जोखिम पूँजी: / Operational Risk Capital:</b>	
मूल संकेतक दृष्टिकोण / Basic indicator approach	10821.15

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

	(राशि मिलियन ₹ में ) (Amt. in ₹ million)
<b>कुल अपेक्षित न्यूनतम पूँजी / Total Minimum Capital required</b>	242924.52
<b>(प्रतिशत) / (Percentage)</b>	
सामान्य इक्विटी टियर I, टियर I एवं कुल पूँजी का अनुपात:	
<b>Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total capital ratio:</b>	
सीईटी 1 (%) / CET 1 (%)	7.83%
टीयर I (%) / Tier 1 (%)	7.86%
कुल (%) / Total (%)	11.78%

### 2. जोखिम एक्सपोजर एवं मूल्यांकन

#### Risk exposure and assessment

#### तालिका डीएफ-3 : ऋण जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन

Table DF-3: Credit Risk: General Disclosures for All Banks

ऋण जोखिम एक प्रकार का हानि जोखिम है जो प्रतिपक्षी द्वारा वित्तीय संविदा के अंतर्गत देयताओं को पूरा न करने और शर्तों का पालन न कर पाने के कारण उत्पन्न हो सकता है। ऐसी किसी भी घटना का बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैंक को अपने उधार, निवेश तथा संविदागत व्यवस्थाओं के जरिए ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। बैंक के समक्ष आने वाले ऋण जोखिमों के प्रभाव का सामना करने के लिए एक सुदृढ़ जोखिम अभिशासन ढाँचा बनाया गया है। जोखिम अभिशासन ढाँचा जोखिमों के स्वामित्व और प्रबंधन के बारे में भूमिकाओं की स्पष्ट परिभाषा और साथ ही जिम्मेदारी निर्धारण प्रस्तुत करता है। रिपोर्टिंग संबंध तथा प्रबंध सचना प्रणाली (एमआईएस) व्यवस्था के बारे में पदानुक्रम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए जिम्मेदारी निर्धारण को और मजबूत बनाया गया है।

Credit risk is the risk of loss that may occur due to default of the counterparty or from its failure to meet its obligations as per terms of the financial contract. Any such event will have an adverse effect on the financial performance of the Bank. The Bank faces credit risk through its lending, investment and contractual arrangements. To counter the effect of credit risks faced by the Bank, a robust risk governance framework has been put in place. The framework provides a clear definition of roles as well as allocation of responsibilities with regard to ownership and management of risks. Allocation of responsibilities is further substantiated by defining clear hierarchy with respect to reporting relationships and Management Information System (MIS) mechanism.

#### बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीतियां / Bank's Credit risk management policies

बैंक ने प्रक्रमों और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से निरूपित करने के उद्देश्य से विभिन्न जोखिम नीतियां, प्रक्रियाएं तथा मानक तैयार तथा कार्यान्वित किये हैं जो सभी संबंधित कारोबारी समूहों पर आबद्धकर हैं। बैंक की ऋण नीति ऋण सहायता के परिमापन, निगरानी और नियंत्रण द्वारा एक उच्च गुणवत्ता पर्याप्त ऋण पोर्टफोलियो बनाने तथा उसे बनाए रखने के उद्देश्य के साथ संचालित है। यह नीति स्वीकार्य जोखिम समायोजित प्रतिफल के साथ अँधिक कणिक कारकों जैसे कंपनियों, कारोबार समूह, उद्योगों, भौगोलिक क्षेत्रों तथा ऋण उत्पादों में पोर्टफोलियो के विशाखन पर भी ध्यान देती है। मौजूदा कारोबार परिदृश्य तथा विनियामक शर्तों के आलोक में यह नीति ग्राहकों को उधार देने के प्रति बैंक का दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है।

The Bank has defined and implemented various risk management policies, procedures and standards with an objective to clearly articulate processes and procedural requirements that are binding on all concerned Business groups. The Credit Policy of the Bank is guided by the objective to build, sustain and maintain a high quality credit portfolio by measurement, monitoring and control of the credit exposures. The policy also addresses more granular factors such as diversification of the portfolio across companies, business groups, industries, geographies and sectors. The policy reflects the Bank's approach towards lending to corporate clients in light of prevailing business environment and regulatory stipulations.

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

बैंक की ऋण नीति के अंतर्गत बैंक की खुदरा परिसंपत्तियों को बढ़ाने तथा उन्हें बनाये रखने के लिए मानक, प्रक्रियाएं तथा पद्धतियां निर्दिष्ट की गयी हैं। यह नीति विभिन्न खुदरा उत्पादों के लिए वैयक्तिक उत्पाद प्रोग्राम दिशानिर्देशों के प्रतिपादन को भी संचालित करती है। इस नीति की उस परिवेश (विनियामक एवं बाजार) की गति की प्रत्याशा में या के प्रत्युत्तर में वार्षिक समीक्षा की जाती है जिसमें बैंक परिचालन करता है या रणनीतिक दिशा में परिवर्तन करता है या जोखिम सहनशीलता आदि में परिवर्तन करता है। यह नीति बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित है।

The Bank's Credit Policy also details the standards, processes and systems for growing and maintaining the Retail Assets portfolio of the Bank. The policy also guides the formulation of Individual Product Program Guidelines for various retail products. The Credit policy is reviewed annually in anticipation of or in response to the dynamics of the environment (regulatory & market) in which the Bank operates or to change in strategic direction, risk tolerance, etc. The policy is approved by the Board of Directors of the Bank.

ऋण जोखिम के संकेंद्रण से बचने के लिए, बैंक ने एकल उधारकर्ता, समूह कंपनियों के संबंध में ऋण सहायता मानदंड, संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण, उद्योग को ऋण सहायता और अप्रतिभूत ऋण सहायता के बारे में आंतरिक दिशानिर्देश लागू किये हैं। नये कारोबार प्राप्त करने के लिए और नये ग्राहकों की प्रारंभिक जांच के लिए भी मानदंड निर्दिष्ट किये गये हैं। बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, वाणिज्यिक रियल एस्टेट, पूँजी बाजार तथा बुनियादी क्षेत्र सहित किसी भी उद्योग को ऋण देने के संबंध में रिजर्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा विशिष्ट रूप से जारी किये गये नियंत्रणों का पालन करता है। इसके अलावा, विवेकपूर्ण विचारों के आधार पर कुछ विशिष्ट खंडों के लिए आंतरिक सीमाएं भी निर्धारित की गयी हैं।

To avoid concentration of credit risk, the Bank has put in place internal guidelines on exposure norms in respect of single borrower, groups, exposure to sensitive sector, industry exposure, unsecured exposures, etc. Norms have also been detailed for soliciting new business as well as for preliminary scrutiny of new clients. The Bank abides by the directives issued by RBI, SEBI and other regulatory bodies in respect of lending to any industry including NBFCs, Commercial Real Estate, Capital Markets and Infrastructure. In addition, internal limits have been prescribed for certain specific segments based on prudential considerations.

बैंक के पास देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में ऋण-निवेश से संबंधित प्रतिपक्षी जोखिम पर और विभिन्न देशों में ऋण-निवेश से संबंधित देश जोखिम प्रबंधन पर विशिष्ट नीतियाँ हैं।

The Bank has a specific policy on Counter Party Credit Risk pertaining to exposure on domestic & international banks and a policy on Country Risk Management pertaining to exposure on various countries.

### ऋण जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया: / Credit risk assessment process:

ऋण प्रस्तावों की मंजूरी निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रत्यायोजन संरचना के अनुसार की जाती है। बैंक द्वारा प्रयुक्त ऋण जोखिम रेटिंग ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए एक मुख्य साधन है।

The sanction of credit proposals is in accordance with the delegation structure approved by the Board of Directors. Credit risk rating, used by the Bank is one of the key tools for assessing its credit proposals.

बैंक ने बासेल अपेक्षाओं के अनुरूप आंतरिक रेटिंग मॉडल जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (रैम) को कार्यान्वित किया है। यह रेटिंग के लिए एक द्विआयामी मॉड्यूल अर्थात् बाध्यताधारी तथा सुविधा है। उधारकर्ता की श्रेणी और विशेषता के अनुसार विभिन्न रेटिंग मॉडलों के लिए वित्तीय, कारोबार, प्रबंधन तथा उद्योग जैसे विभिन्न जोखिम मानदंडों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रस्ताव की गुणवत्ता व मात्रात्मक जानकारी का ऋण जोखिम विश्लेषक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है ताकि उधारकर्ता की ऋण रेटिंग का पता लगाया जा सके।

The Bank has implemented internal rating model Risk Assessment Module (RAM), a two - dimensional module for rating viz.; obligor and facility, in line with Basel requirements. Different risk parameters such as financial, business, management and industry are used for different rating models in accordance with the category and characteristics of the borrower. Qualitative and quantitative information of the proposal is evaluated by the credit risk analyst to ascertain the credit rating of the borrower.

एक निश्चित प्रारंभिक राशि से अधिक के प्रस्तावों की रेटिंग बैंक के ऋण जोखिम समूह द्वारा केन्द्रीकृत रूप में की जाती है। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की उपयुक्त रेटिंग समिति आंतरिक ऋण रेटिंग को प्रमाणित करती है। खुदरा उत्पादों के ऋण का अनुमोदन पृथक खुदरा उत्पाद दिशानिर्देश से संचालित होता है तथा प्रत्येक प्रस्ताव को मूल्यांकन के अंक दिए जाते हैं।

## समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

Proposals over a certain threshold amount are rated centrally by rating analysts of the Bank. Suitable committee based approach is followed to validate the internal credit ratings. The committees are comprised of senior officials of the Bank. Approval of credit for retail products are guided by the individual retail product paper guidelines and each proposal is appraised through a scoring model.

उपर्युक्त के अलावा, एक ऋण लेखा-परीक्षा प्रक्रिया भी लागू की गई है जिसका उद्देश्य ऋणों की समीक्षा करना है और यह ऋण मूल्यांकन, निगरानी तथा न्यूनीकरण प्रक्रिया की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी साधन है।

In addition to the above, a Credit audit process is in place, which aims at reviewing the loans and acts as an effective tool to evaluate the efficacy of credit assessment, monitoring and mitigation process.

### अनर्जक परिसंपत्तियों की परिभाषा / Definitions of non-performing assets:

रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में करता है।

The Bank classifies its advances into performing and non-performing advances in accordance with the extant RBI guidelines.

अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) ऐसे ऋण या अग्रिम को कहा जाता है, जहां;

The non performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/ अथवा मूलधन की किस्तें 90 से अधिक दिन से अतिदेय हों।
- Interest and/ or installment of principal remains overdue for more than 90 days for a term loan,
- खाता लगातार 90 से अधिक दिन तक ओवरड्राफ्ट/ नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के संबंध में 'अनियमित' रहता है। यदि खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा/ आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहती हो, तो उसे भी 'अनियमित' माना जाता है। जिन मामलों में मुख्य परिचालन खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा/ आहरण अधिकार से कम है, किंतु उनमें तुलन पत्र की तारीख तक लगातार 90 से अधिक दिन तक कोई राशि जमा नहीं होती है या जो जमाराशियां इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज के लिए पर्याप्त नहीं हैं, ऐसे खातों को भी 'अनियमित' माना जाता है।
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC). 'Out of order' means if the account outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.
- क्रय किए गए या भुनाई किए गए बिल 90 से अधिक दिन से 'अतिदेय' हों।
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- कृषि ऋण के संबंध में अल्पावधि फसलों के मामले में ब्याज तथा/ अथवा मूलधन की किस्तों की अदायगी दो फसल मौसम से अतिदेय हो और दीर्घावधि फसलों में एक फसल मौसम से अतिदेय हो।
- In respect of an agricultural loan, the interest and / or installment of principal remains overdue for two crop seasons for short duration crops and for one crop season for long duration crops.

इसके अलावा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार एनपीए को अवमानक, संदिग्ध एवं हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अवमानक परिसंपत्ति उसे कहा जाता है, जो 12 माह या इससे कम अवधि से एनपीए हो। किसी परिसंपत्ति को संदिग्ध तब माना जाता है, जब यह अवमानक परिसंपत्ति की श्रेणी में 12 माह या इससे अधिक अवधि से हो। हानि परिसंपत्ति उसे कहा जाता है जो बैंक द्वारा अथवा आंतरिक / बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा अथवा रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दौरान हानि परिसंपत्ति के रूप में अभिनिर्धारित की गई हो किन्तु जिसे पूर्णतः बट्टे खाते नहीं डाला गया हो।

NPAs are further classified into sub-standard, doubtful and loss assets based on the criteria stipulated by RBI. A substandard asset is one, which has remained as NPA for a period less than or equal to 12 months. An asset is classified as doubtful if it has remained in the sub-standard category for more than 12 months. A loss asset is one where loss has been identified by the Bank or by the internal / external auditors or during RBI inspection but the amount has not been written off fully.

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में, जहां ब्याज/ मूलधन बकाया है, बैंक ऐसी प्रतिभूतियों पर आय को गणना में शामिल नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में कमी के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार उचित प्रावधान करता है।

In respect of investments in securities, where interest / principal is in arrears, the Bank does not reckon income on such securities and makes provisions as per provisioning norms prescribed by RBI for depreciation in the value of investments.

### (क) कुल निधि आधारित व गैर- निधि आधारित सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर

#### a. Total gross credit risk exposures, Fund based and Non-fund based separately.

(राशि मिलियन ₹ में) / (Amt. in ₹ million)

विवरण Particulars	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल Total
कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर *	2733905.21	1458518.40	4192423.61
देशी / Domestic	2555863.85	1442090.18	3997954.03
विदेशी / Overseas	178041.36	16428.22	194469.58

\* अग्रिम एलसी, बीजी, एलईआर, स्वीकृतियों और अनाहरित मंजूरियों सहित

\* includes advances, LCs, BGs, LERs, acceptances & undrawn sanctions

### (ख) सकल ऋण सहायता प्राप्त शीर्ष 20 उद्योग : निधि आधारित व गैर- निधि आधारित

#### b. Top 20 industry type distribution of Gross credit exposures- fund based and non-fund based

(राशि मिलियन ₹ में) / (Amt. in ₹ million)

उद्योग का नाम Industry Name	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल Total
बिजली / Power	326257.14	149850.36	476107.50
तेल एवं गैस/ पेट्रोलियम पदार्थ Oil & Gas/Petroleum Products	135972.04	163013.46	298985.50
इम्फास्ट्रक्चर (अन्य) / Infrastructure Others	152639.98	136757.99	289397.97
सड़क व पुल/ पोर्ट / Roads & bridges / ports	173895.53	104749.71	278645.24
आवास ऋण / Housing Loans	242702.86	0.00	242702.86
लोह एवं इस्पात / Iron and Steel	133861.44	82782.75	216644.19
एनबीएफसी / NBFC	136670.18	10207.34	146877.52
दूरसंचार सेवाएं / Telecom	70369.51	74093.17	144462.68
व्यापार / Trading	66371.35	35425.30	101796.65
टेक्सटाइल / Textiles	84449.57	16268.87	100718.44
सामान्य मशीनरी एवं उपकरण General Machinery & Equipments	35499.25	64838.17	100337.42

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(राशि मिलियन ₹ में) / (Amt. in ₹ million)

उद्योग का नाम Industry Name	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल Total
बैंकिंग / Banking	20154.67	75826.98	95981.65
निर्माण / Construction	17727.46	75411.86	93139.32
सीमेंट / Cement	70239.29	11727.50	81966.79
रसायन और रसायन उत्पाद Chemical & Chemical Products	46188.88	33764.62	79953.50
उर्वरक / Fertilizers	39649.07	35340.28	74989.35
आवास वित्त कंपनियाँ / Housing Finance Companies	72733.95	0.00	72733.95
वित्तीय सेवाएँ ( बैंक व एनबीएफसी को छोड़कर ) Financial Services ( other than Banks & NBFCs)	28173.26	42093.95	70267.21
विद्युत मशीनरी एवं उपकरण Electrical Machinery & Equipments	15859.76	45121.10	60980.86
चीनी व चीनी उत्पाद / Sugar & Sugar Products	44741.48	11326.46	56067.94
अन्य / Others	819748.54	289918.53	1109667.07
<b>कुल / Total</b>	<b>2733905.21</b>	<b>1458518.40</b>	<b>4192423.61</b>

(ग) जिन उद्योगों में सकल ऋण सहायता का 5% से अधिक हिस्सा है

## c. Industries having more than 5% of the Gross credit exposures

(राशि मिलियन ₹ में) / (Amt. in ₹ million)

उद्योग का नाम / Industry Name	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल Total	% %
बिजली / Power	326257.14	149850.36	476107.50	11.36%
तेल एवं गैस/ पेट्रोलियम पदार्थ Oil & Gas/Petroleum Products	135972.04	163013.46	298985.50	7.13%
इन्फ्रास्ट्रक्चर (अन्य) Infrastructure Others	152639.98	136757.99	289397.97	6.90%
सड़क व पुल/ पोर्ट Roads & bridges / ports	173895.53	104749.71	278645.24	6.65%
आवास ऋण / Housing Loans	242702.86	0.00	242702.86	5.79%
लोह एवं इस्पात / Iron and Steel	133861.44	82782.75	216644.19	5.17%

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(घ) परिसंपत्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण

d. Residual contractual maturity breakdown of assets

(राशि मिलियन ₹ में) / (Amt. in ₹ million)

परिपक्वता अवधि Maturity Buckets	परिसंपत्तियां / Assets				
	नकदी एवं रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों के पास जमा शेष Cash & Balances with RBI and Other Banks	निवेश Investments	अग्रिम Advances	अचल परिसंपत्तियां एवं अन्य परिसंपत्तियां Fixed Assets & Other Assets	कुल परिसंपत्तियां Total Assets
पहला दिन / Day 1	49544.69	29549.79	18869.54	4725.10	102689.12
2 से 7 दिन 2 to 7 days	22014.80	51767.30	30837.30	2070.60	106690.00
8 से 14 दिन 8 to 14 days	3627.60	73.70	22438.20	4029.00	30168.50
15 से 28 दिन 15 to 28 days	4536.40	12161.80	12293.50	3438.70	32430.40
29 दिन से 3 माह तक 29 days & upto 3 months	19994.80	13290.70	90338.90	11219.10	134843.50
3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	6923.40	58463.20	63464.20	7420.90	136271.70
6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	21585.00	64985.50	120373.90	3771.70	210716.10
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	20763.40	153633.50	813305.50	227.00	987929.40
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	7267.20	144216.00	278845.10	36205.30	466533.60
5 वर्ष से अधिक Over 5 yrs	11921.80	509593.55	526093.90	34084.73	1081693.98
<b>कुल / Total</b>	<b>168179.09</b>	<b>1037735.04</b>	<b>1976860.04</b>	<b>107192.13</b>	<b>3289966.30</b>

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(इ) 31 मार्च 2014 के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियाँ

### e. Non Performing Assets as on March 31, 2014

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

<b>एनपीए की राशि (सकल) / Amount of NPAs (Gross)</b>		<b>99601.59</b>
अवमानक / Substandard		29015.20
संदिग्ध 1 / Doubtful 1		33988.09
संदिग्ध 2 / Doubtful 2		29884.92
संदिग्ध 3 / Doubtful 3		3368.87
हानि / Loss		3344.51
<b>निवल एनपीए राशि / Net NPAs</b>		<b>49023.04</b>
<b>एनपीए अनुपात / NPA Ratios</b>		
• सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए / Gross NPAs to Gross Advances		4.90%
• निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए / Net NPAs to Net Advances		2.48%
<b>एनपीए में घट-बढ़ (सकल) / Movement of NPAs (Gross)</b>		
• आरंभिक शेष / Opening Balance		64499.79
• परिवर्धन / Additions		57060.09
• बटौरे खाते / Write offs		13926.85
• कटौतियाँ / Reductions		8031.44
• अंतिम शेष / Closing Balances		99601.59
<b>एनपीए के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ / Movement of provisions for NPAs</b>		
• आरंभिक शेष / Opening Balances		32533.78
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान / Provisions made during the period		33072.12
• घटाएँ: प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर में अंतरित		
Less : Transferred to Counter-Cyclical Provisioning Buffer		0.00
• घटाएँ: बटौरे खाते डाली गई राशि / Less: Write off		13926.85
• घटाएँ: अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन / Less: Write back of excess provisions		1944.10
• अंतिम शेष / Closing Balances		49734.95
<b>अनर्जक निवेशों की राशि / Amount of Non-Performing Investments</b>		<b>8965.14</b>
<b>अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि</b>		
<b>Amount of provisions held for Non-performing Investments</b>		<b>5610.74</b>
निवेशों (बांड व डिबेंचर सहित) के मूल्य में कमी के लिए प्रावधानों में घट-बढ़		
<b>Movement of provisions for depreciation on investments (including bonds and debentures)</b>		
आरंभिक शेष / Opening Balance		12258.24
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान / Provisions made during the period		2199.69
बटौरे खाते में डाली गई राशि/ अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन		
Write offs / Write Back of excess provisions		1973.32
अंतिम शेष / Closing Balance		12484.61

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

### तालिका डीएफ-4: ऋण जोखिम - मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटन:

**Table DF-4: Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised approach**

बैंक पूँजी गणना के लिए अपनी ऋण सहायता पर जोखिम भार की गणना करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बाब्य रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग का प्रयोग करता है। बासेल दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे देशी ऋण एजेंसियों अर्थात् क्रिसिल, केयर, इक्रा, इंडिया रेटिंग्स (पूर्व फिच इंडिया), ब्रिकवर्क व स्पेरा तथा अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों अर्थात् फिच, मूडीज तथा स्टेंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा प्रदान की गई बाब्य रेटिंग का उपयोग करता है।

The Bank uses the solicited ratings assigned by the external credit rating agencies specified by RBI for calculating risk weights on its exposures for capital calculations. In line with the Basel guidelines, banks are required to use the external ratings assigned by domestic credit rating agencies viz. Crisil, CARE, ICRA, India Ratings (formerly Fitch India), Brickwork and SMERA and international credit rating agencies Fitch, Moody's and Standard & Poor's.

प्रदत्त रेटिंग का प्रयोग अनुमत तरीके से तुलन-पत्र में तथा तुलन-पत्र से इतर अल्पावधि व दीर्घावधि सभी पात्र ऋण सहायताओं के लिए किया जाता है। केवल उन्हीं रेटिंगों पर विचार किया जाता है, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं तथा रेटिंग एजेंसियों के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू हों।

The ratings assigned, are used for all eligible exposures; on balance sheet & off balance sheet; short term & long term in the manner permitted by the guidelines. Only those ratings which are publicly available and in force as per the monthly bulletin of the rating agencies are considered.

जोखिम भारिता के प्रयोजन के लिए पात्र होने के लिए बैंक की ऋण जोखिम सहायता की संपूर्ण राशि को बाब्य ऋण आकलन हेतु हिसाब में लिया जाता है। बैंक एक वर्ष या इससे कम की संविदात्मक परिपक्वता वाली ऋण सहायता के लिए अल्पावधि रेटिंग तथा एक वर्ष से अधिक वाली ऋण सहायता के लिए दीर्घावधि रेटिंग का प्रयोग करता है।

To be eligible for risk weighting purposes, the entire amount of credit risk exposure to the Bank is taken into account for external credit assessment. The Bank uses short term ratings for exposures with contractual maturity of less than or equal to one year and long term ratings for those exposures which have a contractual maturity of over one year.

किसी कॉरपोरेट ऋण सहायता के लिए रेटिंग प्रदान करने और उपयुक्त जोखिम भार लागू करने की प्रक्रिया रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। जहाँ किसी कॉरपोरेट के लिए एक से अधिक रेटिंग उपलब्ध हैं, वहाँ दो रेटिंग उपलब्ध होने पर निम्नतर रेटिंग तथा तीन या अधिक रेटिंग होने पर द्वितीय निम्नतर रेटिंग लागू की जाती है।

The process used to assign the ratings to a corporate exposure and apply the appropriate risk weight is as per the regulatory guidelines prescribed by RBI. In cases where multiple external ratings are available for a given corporate, the lower rating, where there are two ratings and the second lowest rating, where there are three or more ratings is applied.

3 प्रमुख जोखिम समूहों में ऋण जोखिम न्यूनीकरण एवं कटौती के पश्चात बैंकिंग बही में परिसंपत्तियों की निवल बकाया राशि और गैर-निधि आधारित सुविधाओं का विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

The table given below gives the breakup of net outstanding amounts of assets in Banking Book and Non Fund Based Facilities after Credit Risk Mitigation in 3 major risk buckets as well as those that are deducted:

जोखिम-भार / Risk Weight	(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)
100% से कम / Less than 100%	2103656.63
100 % पर / At 100%	1164166.43
100 % से अधिक / More than 100%	476252.39
पूँजी से कटौती / Deduction from Capital	410.56
<b>कुल / Total</b>	<b>3744486.01</b>

## समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

### तालिका डीएफ-5 : ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन

**Table DF-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches**

संपार्शिक प्रतिभूति उधारकर्ता द्वारा ऋण सुविधा को सुरक्षित करने के लिए उधारदाता को प्रदान की गई एक परिसंपत्ति या अधिकार है। ऋण जोखिमों को कम करने के लिए बैंक अपने निवेशों के प्रति संपार्शिक प्रतिभूति लेता है। बैंक के पास संपार्शिक प्रबंध और ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) तकनीकों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है जिसमें स्वीकार्य संपार्शिक प्रतिभूतियों के बारे में मानदंड, ऐसे संपार्शिकों के वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं दी गई हैं।

A collateral is an asset or a right provided by the borrower to the lender to secure a credit facility. To mitigate credit risk, the Bank obtains collaterals against its exposures. The Bank has a Board approved policy on Collateral Management and Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques, which includes norms on acceptable collaterals, procedures & processes to enable classification and valuation of such collaterals.

तुलन-पत्रीय नेटिंग उन ऋणों और जमाराशियों तक सीमित है जहाँ बैंक के पास अन्य निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त विशिष्ट धारणाधिकार सहित वैध रूप से प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है। यह नेटिंग उसी प्रतिपक्षकार की संपार्शिक प्रतिभूतियों पर ऋणों के लिए है जो निर्धारणीय नेटिंग व्यवस्था के अधीन है।

On-Balance sheet netting is confined to loans and deposits, where the Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien in addition to other stipulated conditions. The netting is only undertaken for loans against collaterals of the same counterparty and subject to identifiable netting arrangement.

बैंक द्वारा ऋण सहायता की बचाव व्यवस्था करने (हेजिंग) के लिए वित्तीय तथा गैर-वित्तीय दोनों संपार्शिक प्रतिभूतियों का इस्तेमाल किया जाता है। उधारकर्ता के प्रकार, जोखिम रूपरेखा तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी उत्पाद के लिए उपयुक्त संपार्शिक प्रतिभूति का निर्धारण किया जाता है। बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख पात्र वित्तीय संपार्शिक प्रतिभूतियों में नकदी, बैंक की स्वयं की जमाराशियाँ, स्वर्ण, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, घोषित अभ्यर्पण मूल्य के साथ जीवन बीमा पॉलिसियां और विभिन्न प्रतिभूतियां शामिल हैं। गैर-वित्तीय संपार्शिक प्रतिभूतियों में भूमि व भवन, संयंत्र एवं मशीनरी तथा स्टॉक शामिल हैं। तथापि, खुदरा पोर्टफोलियो के अंतर्गत संपार्शिक प्रतिभूतियों को उत्पाद के प्रकार के अनुसार परिभाषित किया जाता है, जैसे आवास ऋण के लिए संपार्शिक प्रतिभूति आवासीय बंधक होगा और ऑटो ऋण के लिए वाहन होगा। अधिकांश पात्र वित्तीय संपार्शिक प्रतिभूतियाँ जहाँ बैंक ने सीआरएम तकनीक के अंतर्गत पूँजीगत अभिलाभ प्राप्त किया है, बैंक की स्वयं की सावधि जमाराशियों के रूप में हैं जो ऋण या बाजार जोखिम के अधीन नहीं हैं।

Both financial as well as non-financial collaterals are used to hedge its credit exposures. Appropriate collateral for a product is determined after taking into account the type of borrower, the risk profile and the facility. The main types of eligible financial collaterals accepted by the Bank are Cash, Bank's own deposits, Gold, National Savings Certificates, Kisan Vikas Patra, Insurance policies with a declared surrender value and various Debt securities. The non-financial collaterals include Land & Building, Plant & Machinery, Stock, etc. However, under the retail portfolio the collaterals are defined as per the type of product e.g. collateral for housing loan would be residential mortgage and an automobile is a collateral for auto loan. Most of the eligible financial collaterals, where the Bank has availed capital benefits under CRM techniques, are in the form of Bank's own FDs which are not subject to credit or market risk.

बैंक अपने ऋणों को सुरक्षित करने के लिए गारंटियों पर भी विचार करता है। तथापि, यह सिर्फ उन्हीं गारंटियों पर विचार करता है जो प्रत्यक्ष, सुप्राप्त तथा बिनाशर्त होती है। संप्रभु सरकारों, सरकारी संस्थाओं, बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) तथा उच्च रेटिंग प्राप्त कॉरपोरेट संस्थाओं को बासेल दिशानिर्देशों में निर्धारित रूप में पूँजीगत अभिलाभ प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा पात्र गारंटीकर्ता माना जाता है।

The Bank also considers guarantees for securing its exposures; however only those guarantees which are direct, explicit and unconditional are considered. Sovereigns, Public Sector Entities, Banks, Primary Dealers, Credit Guarantee fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) and highly rated corporate entities are considered as eligible guarantors by the Bank for availing capital benefits as stipulated in the Basel guidelines.

01 कॉरपोरेट विहंगावलोकन

01 CORPORATE OVERVIEW

02 सांविधिक रिपोर्ट

02 STATUTORY REPORTS

03 वित्तीय विवरण

03 FINANCIAL STATEMENTS

## समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

बैंक संभावित ऋण जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं तथा तकनीकों का प्रयोग करता है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) एक ऐसा साधन है जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य की सीमा तक इसकी पूँजी आवश्यकता की गणना करते समय, प्रतिपक्षी को बैंक के ऋण की जोखिम को कम करने के लिए तैयार किया गया है। प्रतिपक्षी को ऋण जोखिम, उपयुक्त मार्जिन लगाने के बाद, पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्य द्वारा समायोजित किया जाता है। मूल्य में अस्थिरता का पता लगाने के लिए मार्जिन लागू किया जाता है जिसमें ऋण सहायता और संपार्श्विक प्रतिभूति दोनों के लिए मुद्रा असंतुलन के कारण होनी वाली अस्थिरता भी शामिल है। पात्र गारंटीयों के अंतर्गत पूँजी बचत का लाभ उठाने के लिए ऋण सहायता की राशि प्रतिभूत और अप्रतिभूत हिस्सों में बाँट दी जाती है। ऋण सहायता का प्रतिभूत हिस्सा गारंटीकर्ता के जोखिम भार को दर्शाता है, जबकि अप्रतिभूत हिस्सा बाध्यताधारी के जोखिम भार को दर्शाता है, बशर्ते कि बासेल दिशानिर्देशों में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा किया जाए।

The Bank utilizes various processes and techniques to reduce the impact of the credit risk to which it is exposed. CRM is one such tool designed to reduce the Bank's credit exposure to the counterparty while calculating its capital requirement to the extent of the value of eligible financial collateral. The credit exposure to a counter party is adjusted by the value of eligible financial collaterals after applying appropriate haircuts. The haircuts are applied to account for volatility in value, including those arising from currency mismatch for both the exposure and the collateral. For availing capital savings under eligible guarantees, the amount of exposure is divided into covered and uncovered portions. The covered portion of the exposure attracts the risk weight of guarantor, while the uncovered portion continues to attract the risk weight of the obligor subject to meeting requirements stipulated in the Basel guidelines.

सीआरएम तकनीक में शामिल बैंक की ऋण सहायता निम्नानुसार है :

The Bank's exposures where CRM techniques were applied are as follows:

	(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)	
विवरण / Particulars	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित* Non-Fund Based *
पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति में शामिल कुल ऋण सहायता Total Exposures covered by eligible financial collateral	78823.58	133960.77
पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति का लाभ लेने के बाद ऋण सहायता Exposure after taking benefit of eligible collateral	30191.12	102095.10

\* गैर-बाजार संबद्ध / \* Non-Market Related

जहां रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार सीआरएम तकनीक के रूप में कॉरपोरेट गारंटीयों का प्रयोग किया गया वहां यथा 31 मार्च 2014 को ऋण सहायता की राशि ₹ 22082.31 मिलियन थी।

The exposure covered by corporate guarantees where CRM techniques as per RBI guidelines were applied amounted to ₹ 22082.31 million as on March 31, 2014.

### तालिका डीएफ-6 : प्रतिभूतिकरण ऋण निवेश : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन

Table DF-6: Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach

बैंक की मुख्य प्रतिभूतिकृत ऋण-सहायता में पास थु सर्टिफिकेटों (पीटीसी) के रूप में प्रतिभूतिकृत ऋण-पत्रों में किये गये निवेश शामिल हैं और इसमें द्वितीय हानि के रूप में ऋण वृद्धि प्रदान करना भी शामिल है। इन ऋणों/ प्राप्य राशियों को रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनबीएफसी/ एमएफआई से प्रतिभूतिकरण मार्ग से प्राप्त किया जाता है।

The main securitized exposures of the Bank are the investments made in securitized papers in the form of Pass Through Certificates (PTCs) and providing credit enhancements in the form of Second Loss. The loans/ receivables are acquired through the Securitization route from NBFCs/MFIs in accordance with the prevalent RBI guidelines.

## समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

बैंक प्रतिभूतिकरण लेन-देनों में निम्नलिखित में से कुछ या सभी भूमिकाएं अदा करता है:

The Bank acts in either some or all of the roles in securitization transactions as given below:

i. **निवेशक:** निवेशक जो विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) द्वारा जारी प्रतिभूतिकृत ऋण-पत्रों अर्थात् पास थ्रु सर्टीफिकेटों (पीटीसी) में निवेश करता है।

**Investor:** As an investor who invests in the securitized papers viz. Pass Through Certificates (PTCs) issued by the Special Purpose Vehicle (SPV).

ii. **ऋण वृद्धि प्रदाता (सीई):** खुदरा ऋणों के प्रतिभूतिकरण लेन-देन सामान्यतः चलनिधि सुविधा (एलएफ), प्रथम हानि ऋण सुविधा (एफएलसीएफ) तथा द्वितीय हानि ऋण सुविधा (एसएलसीएफ) द्वारा समर्थित हैं। इन सुविधाओं को सामूहिक रूप से ऋण वृद्धि कहा जाता है। चलनिधि सुविधा का प्रयोग समूहन अंतर्वर्षीय में अस्थायी असंतुलन को पूरा करने के लिए किया जाता है जबकि प्रथम हानि ऋण सुविधा और द्वितीय हानि ऋण सुविधा समूहन ऋण में कमियों को पूरा करने के लिए हैं।

**Provider of Credit Enhancement (CE):** Securitization transactions of retail loans are generally backed by Liquidity Facility (LF), First Loss Credit Facility (FLCF) and Second Loss Credit Facility (SLCF), collectively known as Credit Enhancement. While LF is used for meeting temporary mismatch in pool inflows, FLCF and SLCF are meant for meeting pool delinquencies.

बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन निम्नानुसार हैं :

**The general qualitative disclosures with respect to securitization activities of the Bank are as follows:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप के संबंध में बैंक का उद्देश्य उस सीमा सहित जिस तक ये कार्यकलाप अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत ऋणों के ऋण जेखिम को बैंक से अलग अन्य संस्थाओं को अंतरित करते हैं।</li> <li>The Bank's objectives in relation to securitization activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitized exposures away from the bank to other entities.</li> </ul>	<p>प्रथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी को पूरा करने के उद्देश्य से बैंक एक निवेशक के रूप में इन कार्यकलापों को करता है। ऋणों को दायित्व-रहित आधार पर प्रतिभूतिकृत किया जाता है जिसके द्वारा अंतर्निहित ऋणों का ऋण जेखिम एनबीएफसी/ एमएफआई द्वारा निवेशक (बैंक) को पूर्णतः अंतरित हो जाता है। In order to supplement achievement of target in Priority Sector Lending (PSL), the Bank undertakes securitization activities as an investor. The loans are securitized on non-recourse basis whereby the credit risk of the underlying loans is fully transferred by NBFCs/MFIIs to investor (Bank).</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>अन्य जोखिमों का स्वरूप</li> <li>The nature of other risks.</li> </ul>	<p>अर्जित समूहों को रेटिंग एजेंसी द्वारा तय की गई ऋण वृद्धि द्वारा पर्याप्त रूप से कवर किया जाता है। यदि समूहों में हानियों का स्तर ऋण वृद्धि से अधिक हो जाता है, तो हानियों को निवेशक द्वारा वहन किया जाता है। The pools acquired are adequately covered by Credit Enhancement as decided by Rating Agency. If the losses in the pool exceed level of credit enhancement, the losses are to be borne by investor.</p>

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक द्वारा निभायी जाने वाली विभिन्न भूमिकाएं और इनमें से हरेक में बैंक की सहभागिता की सीमा का संकेत.</li> <li>The various roles played by the Bank in the securitisation process and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them;</li> </ul>	<p>31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने निवेशक तथा प्रतिभूतिकरण लेन-देन में ऋण वृद्धि प्रदाता के रूप में भूमिकाएं अदा की हैं। यथा 31 मार्च 2014 को ऋण निवेश निम्नानुसार हैः During the year ended on March 31, 2014, the Bank has played the roles of an Investor and provider of Credit Enhancement in Securitisation transactions. The exposures as on March 31, 2014 is as under:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">(₹ राशि मिलियन) / (Amt. in ₹ million)</th> </tr> <tr> <th>क्र.सं. Sr. No</th><th>अदा की गई भूमिका Role played</th><th>लेन-देनों की संख्या No. of transactions</th><th>अंतर्निहित राशि Amount involved</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>निवेशक (बकाया) Investor (o/s)</td><td>74</td><td>100925.65</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ऋण वृद्धि प्रदाता (द्वितीय हानि सुविधा) Provider of Credit enhancement (Second Loss Facility)</td><td>9</td><td>1842.90</td></tr> </tbody> </table>	(₹ राशि मिलियन) / (Amt. in ₹ million)				क्र.सं. Sr. No	अदा की गई भूमिका Role played	लेन-देनों की संख्या No. of transactions	अंतर्निहित राशि Amount involved	1	निवेशक (बकाया) Investor (o/s)	74	100925.65	2	ऋण वृद्धि प्रदाता (द्वितीय हानि सुविधा) Provider of Credit enhancement (Second Loss Facility)	9	1842.90
(₹ राशि मिलियन) / (Amt. in ₹ million)																	
क्र.सं. Sr. No	अदा की गई भूमिका Role played	लेन-देनों की संख्या No. of transactions	अंतर्निहित राशि Amount involved														
1	निवेशक (बकाया) Investor (o/s)	74	100925.65														
2	ऋण वृद्धि प्रदाता (द्वितीय हानि सुविधा) Provider of Credit enhancement (Second Loss Facility)	9	1842.90														
<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रतिभूतिकरण ऋण निवेशों के ऋण तथा बाजार जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए लागू प्रक्रियाओं का विवरण</li> <li>a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures.</li> </ul>	<p>बैंक ने खुदरा ऋणों के समूह/ संपत्ति पर ऋण (लैप) द्वारा समर्थित पीटीसी प्राप्त किये हैं। समूह को एपए (एसओ) / एए (एसओ) रेटिंग प्राप्त है और पर्याप्त ऋण वृद्धि (सोई) द्वारा समर्थित हैं। बैंक वसूली निषादन, चुकौती, समय-पूर्व भुगतान, ऋण वृद्धि के उपयोग, मार्क-टु-मार्केट तथा रेटिंग पूल की आवधिक निगरानी करता है। The Bank has acquired PTCs backed by pool of retail loans/Loan Against Property (LAP). The pools are rated AAA (SO) /AA (SO) and supported by adequate credit enhancement (CE). The Bank periodically monitors the collection performance, repayments, prepayments, utilization of CE, Mark to Market value and rating of the pools.</p>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रतिभूतिकरण ऋण-निवेशों के जरिए प्रतिधारित जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोग को नियंत्रित करने संबंधी बैंक की नीति का विवरण.</li> <li>a description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitisation exposures;</li> </ul>	<p>बैंक मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में रिजर्व बैंक के 7 मई 2012 एवं 21 अगस्त 2012 के परिपत्र में वर्णित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करता है। बैंक रेटिंग एजेसियों द्वारा निर्धारित रूप में पर्याप्त ऋण वृद्धि के साथ प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों को अर्जित करता है। The Bank meticulously follows extant RBI guidelines on Securitisation of Standard Assets as outlined in RBI circular dated May 07, 2012 and August 21, 2012. The Bank acquires securitized assets with adequate CE as recommended by rating agencies.</p>																
<b>प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के लिए बैंक की लेखा नीतियों का सारांश, निम्नलिखित सहित:</b> <b>Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including :</b>																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>लेन-देनों को बिक्री माना जाता है या वित्तपोषण.</li> <li>whether the transactions are treated as sales or financings;</li> </ul>	<p>प्रतिभूतिकृत कागजात के अर्जन को बैंक की बहियों में निवेश माना जाता है। Acquisition of securitized papers is treated as investments in the books of the Bank.</p>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रतिधारित या क्रय की गई स्थितियों का मूल्यांकन करने में प्रयुक्त विधियां तथा मुख्य धारणाएं (निविष्टियों सहित)</li> <li>methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased</li> </ul>	<p>प्रतिभूतिकृत कागजात को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार फिम्डा मूल्यांकन के आधार पर मार्क-टु-मार्केट किया जाता है। The securitized papers are categorized under Available For Sale category and are marked to market based on FIMMDA valuations as per extant RBI guidelines.</p>																

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

<ul style="list-style-type: none"> <li>गत अवधि से विधियों तथा मुख्य धारणाओं में परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव</li> <li>changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;</li> </ul>	शून्य / NIL
<ul style="list-style-type: none"> <li>उन व्यवस्थाओं के लिए तुलन पत्र में देयताओं को दर्शाने के लिए नीतियां जो बैंक से प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों के लिए वित्तीय सहायता की अपेक्षा कर सकती हैं।</li> <li>policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitized assets.</li> </ul>	रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार देयताएं तुलन पत्र में दर्शायी जाती हैं। Liabilities are recognized on the balance sheet in terms of RBI guidelines.
बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त बाब्य ऋण मूल्यांकन संस्थाओं (ईसीएआई) के नाम और प्रतिभूतिकरण ऋण निवेश का प्रकार जिसके लिए हर एजेंसी का प्रयोग किया जाता है। In the banking book, the names of External Credit Assessment Institutions (ECAs) used for securitization and the types of securitization exposure for which each agency is used.	प्रतिभूतिकृत ऋण-निवेशों को क्रिसिल, केरर, इका तथा इंडिया रेटिंग्स द्वारा बाब्य रूप से रेटिंग प्राप्त है। The exposures securitized are externally rated by CRISIL, CARE, ICRA and India Ratings.

### मात्रात्मक प्रकटन : बैंकिंग बही / Quantitative disclosures : Banking Book

बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि	द्वितीय हानि सुविधा के जरिए ₹ 1842.90 मिलियन ₹ 1842.90 million by way of second loss facility.
वर्तमान अवधि के दौरान प्रतिभूतिकृत हानियों के लिए बैंक द्वारा हिसाब में ली गई ऋण सहायता	शून्य / Nil
For exposures securitized, losses recognized by the bank during the current period broken by the exposure type.	
एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली परिसंपत्तियों की राशि	शून्य / Nil
Amount of assets intended to be securitized within a year	
इनमें से प्रतिभूतिकरण से एक वर्ष पूर्व उत्पन्न हुई परिसंपत्तियों की राशि। Of the above, the amount of assets originated within a year before securitization.	शून्य / Nil
प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि (ऋण के प्रकार के अनुसार) और ऋण प्रकार के अनुसार बिक्री पर अभिलाभ या हानि न माने गये। The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type.	शून्य / Nil
निम्न की कुल राशि: / Aggregate amount of:	शून्य / Nil
<ul style="list-style-type: none"> <li>ऋण के प्रकार के अनुसार विभक्त प्रतिधारित या खरीदे गए तुलन पत्र में शामिल किये गये प्रतिभूतिकरण ऋण</li> <li>on-balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ऋण के प्रकार के अनुसार विभक्त तुलन पत्र में शामिल न किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण।</li> <li>off-balance sheet securitization exposures broken down by exposure type</li> </ul>	₹ 1842.90 मिलियन की द्वितीय हानि सुविधा के प्रति जारी की गई बैंक गारंटी Bank Guarantees issued towards second loss facility of ₹ 1842.90 million.

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋणों की कुल राशि और संबद्ध पूँजी प्रभार, ऋणों में विभक्त और हरेक विनियामक पूँजी दृष्टिकोण के लिए अलग-अलग जोखिम भार दायरे में पुनः विभक्त</li> <li>Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach</li> </ul>	शून्य / Nil
<ul style="list-style-type: none"> <li>ऋण जिन्हें टियर I पूँजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूँजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत (आई/ओ) और कुल पूँजी में से घटाए गए अन्य ऋण</li> <li>Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital.</li> </ul>	शून्य / Nil
<b>मात्रात्मक प्रकटन: व्यापारिक बही / Quantitative disclosures : Trading book</b>	
<p>बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिमों को अपने पास रखा है और जो ऋण के प्रकार के अनुसार बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं।</p> <p>Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.</p>	वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान अर्जित प्रतिभूतिकृत कागजात : ₹ 97838.10 मिलियन Securitized papers acquired during FY 2014: ₹ 97838.10 million 31 मार्च 2014 को बकाया प्रतिभूतिकृत कागजात : ₹ 100925.65 मिलियन Securitized papers outstanding as on March 31, 2014: ₹ 100925.65 million
<p>निम्न की कुल राशि : / Aggregate amount of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ऋण के प्रकार के अनुसार विभक्त प्रतिधारित या खरीदे गए तुलन पत्र में शामिल किये गये प्रतिभूतिकरण ऋण; तथा</li> <li>on-balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type; and</li> </ul>	वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान अर्जित प्रतिभूतिकृत कागजात : ₹ 97838.10 मिलियन Securitized papers acquired during FY 2014: ₹ 97838.10 million 31 मार्च 2014 को बकाया प्रतिभूतिकृत कागजात : ₹ 100925.65 मिलियन Securitized papers o/s as on March 31, 2014: ₹ 100925.65 million
<ul style="list-style-type: none"> <li>ऋण के प्रकार के अनुसार विभक्त तुलन पत्र में शामिल न किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण।</li> <li>off-balance sheet securitization exposures broken down by exposure type.</li> </ul>	शून्य / Nil
<p>निम्न के लिए अलग-अलग प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋणों की कुल राशि :</p> <p>Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण; तथा</li> <li>securitization exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and</li> <li>विभिन्न जोखिम भार दायरों में विभक्त विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन प्रतिभूतिकरण ऋण</li> <li>securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands.</li> </ul>	शून्य / Nil 31 मार्च 2014 को बकाया प्रतिभूतिकरण ऋण : ₹ 100925.65 मिलियन Securitization exposure o/s as on March 31, 2014: ₹ 100925.65 million.

## समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

निम्न की कुल राशि : / Aggregate amount of:	(राशि मिलियन ₹ में) / (Amt. in ₹ million)			
	सुविधा / Facility	100% सीसीआर पर राशि Amt . at 100% CCR	रेटिंग / Rating	जोखिम भार Risk Weight
• प्रतिभूतिकरण ऋणों के लिए पूँजी अपेक्षाएं, अलग-अलग जोखिम भार दायरे में विभक्त प्रतिभूतिकरण जोखिम ढाँचे के अधीन	निवेश बकाया Investment Outstanding	20698.7	एए(एसओ) / AAA(SO)	20%
		72285.1	एए(एसओ) / AA(SO)	30%
		6284.1	ए(एसओ) / A(SO)	50%
		1657.7	बीबीबी (एसओ) / BBB(SO)	100%
• ऋण जिन्हें टियर I पूँजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूँजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत और कुल पूँजी में से घटाए गए अन्य ऋण	शून्य / Nil			
• securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital.				

### तालिका डीएफ-7: व्यापार बही में बाजार जोखिम:

**Table DF-7: Market Risk in Trading Book**

बाजार जोखिम ब्याज दरों, इक्विटी दरों, विनियम दरों और पण्य दरों जैसे बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों में उतार-चढ़ाव तथा अस्थिरता के कारण निवेश के मूल्य में होने वाली हानि का जोखिम है। बैंक को स्वयं के साथ-साथ ग्राहकों की ओर से भी किए जाने वाले कारोबारी कार्यकलापों के कारण बाजार जोखिमों का सामना करना पड़ता है। बैंक इन कार्यकलापों से होने वाली वित्तीय ऋण सहायता पर अपनी जोखिम प्रबंध व्यवस्था के तहत निगरानी व प्रबंधन रखता है, जिसके तहत वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशित प्रकृति पर नजर रखने के साथ-साथ शेयरधारकों की पूँजी पर पड़ने वाले किसी प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है।

Market Risk is the risk of loss in the value of an investment due to adverse movements in the level of the market variables such as interest rates, equity prices, exchange rates and commodity prices, as well as volatilities therein. The Bank is exposed to market risk through its trading activities, which are carried out on its own account as well as those undertaken on behalf of its customers. The Bank monitors and manages the financial exposures arising out of these activities as an integral part of its overall risk management system. The system takes cognizance of the unpredictable nature of the financial markets and strives to minimise any adverse impact on the shareholders' wealth.

बैंक ने परिसंपत्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति, बाजार जोखिम नीति, निवेश नीति और डेरिवेटिव नीति तैयार की हैं। ये नीतियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं। इन नीतियों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा विनियम और डेरिवेटिव के परिचालन उचित व मान्य कारोबार प्रथा के अनुरूप तथा विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाएं। इन नीतियों में वित्तीय लिखतों के लेन-देन के संबंध में सीमाएं तय की गई हैं। कारोबार आवश्यकताओं व अर्थिक परिवेश में होने वाले परिवर्तनों और संशोधित नीति-निर्देशों तथा प्रक्रिया व उत्पाद नवोन्मेष को देखते हुए इनमें आवश्यक परिवर्तन के लिए इन नीतियों की आवधिक रूप से समीक्षा भी की जाती है।

The Bank has formulated an Asset Liabilities Management (ALM) Policy, a Market Risk and Derivative Policy and an Investment Policy all of which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound & acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines. These policies contain the limit structure that governs transactions in financial instruments. These policies are reviewed periodically to incorporate changed business requirements, economic environment and changes in regulations in addition to process and product innovations.

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

बैंक की परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) में वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं और इसकी नियमित रूप से बैठकें होती हैं ताकि तुलन-पत्र जोखिमों का समन्वित तरीके से प्रबंधन किया जा सके। एल्को चलनिधि, ब्याज दर व विदेशी मुद्रा विनियम जैसे बाजार जोखिमों के प्रबंध पर विशेष ध्यान देती है। ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) से ब्याज दरों में घट-बढ़ के पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करता है।

The Asset Liability Management Committee (ALCO) comprising top executives of the Bank meet regularly to manage balance sheet risks in a coordinated manner. ALCO focuses on the management of risks viz. liquidity, interest rate and foreign exchange risks. Interest rate sensitivity analysis is measured through impact of interest rate movements on Net Interest Income (NII) of the Bank.

बैंक बाजार जोखिम एवं डेरिवेटिव नीति के माध्यम से ऐसे व्यापार जोखिमों की पहचान करता है, जिनका प्रबंधन किया जाना हो। इस नीति के अंतर्गत लेखा बही में जोखिम प्रबंध के उपयुक्त स्तर के लिए आवश्यक संगठनात्मक स्वरूप, विभिन्न साधनों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं आदि को भी निर्धारित किया गया है। बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले प्रमुख जोखिम प्रबंधनों में व्यापार पोर्टफोलियो का मार्क टु मार्केट (एमटीएम) प्रबंध, पीवी01, संशोधित अवधि, हानि रोध सीमाएं, ग्रीक लिमिट्स, संभाव्य भावी ऋण सहायता, तनाव परीक्षण आदि शामिल हैं।

The Market Risk and Derivative Policy identifies the trading risks to be managed by the Bank. It also lays down the organizational structure, tools, systems, processes, etc., necessary for appropriate levels of risk management in the trading book. The important risk management tools employed by the Bank are Marked to Market (MTM) of trading portfolio, PV01, modified duration, Stop loss, Greek limits, Potential Future Exposure, stress testing etc.

निवेश नीतियां रिजर्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। निवेश नीति में लिखतों में निवेश, ऐसे निवेशों का उद्देश्य तथा बैंक से लेन-देन के लिए पात्र ग्राहकों के बारे में मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

The Investment policy has been framed keeping in view market dynamics and various circulars issued by RBI in this regard. The policy lays down the parameters for investments in instruments, the purpose for such investments and the eligible customers with whom Bank can transact.

बैंक अपनी बाजार जोखिम का निम्न व्यापक उद्देश्यों से प्रबंध करता है:

The Bank manages its market risk with the broad objectives of:

1. निवेशों, विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में निहित ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम व इक्विटी जोखिम का प्रबंध; Management of interest rate risk, currency risk and equity risk arising from investments, foreign exchange and derivatives portfolio;
2. विभिन्न पोर्टफोलियो में लेन-देन के संबंध में उचित वर्गीकरण, मूल्यांकन व लेखांकन; Proper classification, valuation and accounting of the transactions in various portfolios;
3. डेरिवेटिव, निवेश और विदेशी मुद्रा विनियम उत्पादों से संबंधित लेन-देनों की पर्याप्त व उचित रिपोर्टिंग; Adequate and proper reporting of the transactions related to derivative, investment and foreign exchange products;
4. बाजार से संबंधित लेन-देनों के परिचालन व निष्पादन पर प्रभावी नियंत्रण; और Effective control over the operation and execution of market related transactions; and
5. विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन.

Compliance with regulatory requirements.

बैंक में अलग से एक बाजार जोखिम समूह (एमआरजी) / मध्यम कार्यालय है, जोकि ट्रेजरी परिचालनों में बाजार जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी व रिपोर्टिंग के लिए एवं अपवाद की स्थितियों में उनकी जानकारी देने के लिए उत्तरदायी है। यह समूह बाजार जोखिम को मार्पने के लिए नीतियों व प्रक्रियाओं में परिवर्तन की भी सिफारिश करता है। इस समूह की प्रमुख रणनीतियां व प्रक्रियाएं निम्नानुसार हैं:

## समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

The Bank has an independent Market Risk Group (MRG)/Middle Office which is responsible for identification, assessment, monitoring and reporting of market risk in Treasury operations and to highlight exceptions, if any. The group also recommends changes in policies and methodologies for measuring market risk. The main strategies and processes of the group are:-

- प्रत्यायोजन: ट्रेजरी परिचालनों के लिए अधिकारों का उपयुक्त प्रत्यायोजन किया गया है. निवेश संबंधी निर्णय बोर्ड की निवेश समिति के पास निहित हैं. एमआरजी संबंधित नीतियों में यथा वर्णित विभिन्न सीमाओं की निगरानी करता है।

**Delegation:** Appropriate delegation of powers has been put in place for treasury operations. Investment decisions are vested with Investment Committee of the Board. MRG monitors various limits, which have been laid down in the policies.

- नियंत्रण: सिस्टम में पर्याप्त डाटा एकीकरण नियंत्रण मौजूद है। इन नियंत्रणों का प्रयोग लेखापरीक्षा के लिए भी किया जाता है।  
**Controls:** The systems have adequate data integrity controls. The controls are used for audit purpose as well.
- अपवाद संचालन प्रक्रिया: नीतियों के अंतर्गत तय की गई सीमाएं सिस्टम में शामिल कर ली गई हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे लागू किया जा रहा है और अपवाद को न्यूनतम रखा जा सके। सीमाओं के उल्लंघन/ अपवाद, यदि कोई हो, को प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा विश्लेषित और अभिपुष्ट किया जाता है।

**Exception handling processes:** The limits set in the policies have been inserted in the system for ensuring that the same is being enforced to minimize exceptions. The limit breaches/exceptions, if any, are analyzed and ratified from the delegated authorities.

एमआरजी वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड की समिति के सदस्यों को फॉरेक्स, निवेश व डेरिवेटिव उत्पाद संबंधी जोखिमों के बारे में आवधिक रूप से रिपोर्ट देता है। बैंक अपेक्षानुसार विभिन्न विनियामक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। बैंक की जोखिम क्षमता के आधार पर जोखिम मैट्रिक्स पर सीमाएं रखी जाती हैं तथा उन पर आवधिक आधार पर निगरानी रखी जाती है।

The MRG periodically reports on forex, investment and derivative product related risk measures to the senior management and committees of the Board. The Bank also reports to regulators as per the reporting requirements. Based on the risk appetite of the Bank, limits are placed on the risk metrics which are monitored on a periodic basis.

### 31 मार्च 2014 को बाजार जोखिमों के लिए पूँजी प्रभार का समूहन

#### Aggregation of capital charge for market risks as on March 31, 2014

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

जोखिम श्रेणी / Risk Category	पूँजी प्रभार / Capital charge
<b>क. जोखिम विशेष के कारण पूँजी प्रभार</b>	<b>10882.66</b>
<b>a. Capital Charge on account of specific risk</b>	
i) ब्याज दर संबंधी लिखतों पर / On interest rate related instruments	4302.48
ii) इक्विटी पर / On equities	6580.18
iii) डेरिवेटिव पर / On derivatives	0.00
<b>ख. सामान्य बाजार जोखिम के कारण पूँजी प्रभार</b>	<b>6373.46</b>
<b>b. Capital charge on account of general market risk</b>	
i) ब्याज दर संबंधी लिखतों पर / On interest rate related instruments	3646.08
ii) इक्विटी पर / On equities	2253.96

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

जोखिम श्रेणी / Risk Category	पूँजी प्रभार / Capital charge
iii) विदेशी मुद्रा पर / On Foreign exchange	450.00
iv) बहुमूल्य धातुओं पर / On precious metals	0.00
v) डेरिवेटिव पर (एफएक्स विकल्प) / On derivatives (FX Options)	23.42
<b>व्यापारिक बही पर कुल पूँजी प्रभार (क + ख)</b>	<b>17256.12</b>
<b>Total Capital Charge on Trading Book (a+b)</b>	
<b>व्यापारिक बही पर कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियां</b>	<b>191734.68</b>
<b>Total Risk Weighted Assets on Trading Book</b>	

### तालिका डीएफ-8 : परिचालन संबंधी जोखिम:

**Table DF-8: Operational Risk**

परिचालन संबंधी जोखिम का अर्थ हानि का जोखिम है जो आंतरिक कार्यकलापों, व्यक्तियों और पद्धतियों में खामियों या असफलताओं के कारण या बैंक की कारोबारी गतिविधियों पर बाहरी घटनाओं के प्रभाव के कारण होता है। इसमें विधिक जोखिम तो शामिल हैं, किन्तु रणनीतिक और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं।

Operational Risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people & systems or from external events inherent in Bank's business activities. This includes legal risk, but excludes strategic and reputational risks.

### परिचालन जोखिम प्रबंध संरचना

#### Operational Risk Management Framework

बैंक के पास सुपरिभाषित परिचालन जोखिम और कारोबार निरंतरता प्रबंध (ओआर और बीसीएम) नीति है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग परिचालनों में निहित परिचालन जोखिमों की पहचान, निर्धारण और उसकी सीमाओं का पता लगाना और उनको कम करना है। यह इन जोखिमों की निगरानी और इनको कम करने के लिए क्षमताओं, साधनों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

The Bank has a well-defined Operational Risk & Business Continuity Management (OR & BCM) Policy. The main objectives of the policy are identification & assessment of operational risks attached to banking operations and developing capabilities, tools, systems and processes to monitor and mitigate these risks.

बैंक में प्रभावी परिचालन जोखिम प्रबंध के लिए एक सक्षम परिचालन जोखिम प्रबंध संरचना उपलब्ध है तथा इसने एक संगठनात्मक संरचना भी निर्मित की है, जिसमें निदेशक मण्डल, बोर्ड की आरएमसी और परिचालन जोखिम प्रबंध समिति (ओआरएमसी) शामिल हैं। परिचालन जोखिम प्रबंध कार्यकलापों पर एक समीक्षा रिपोर्ट ओआरएमसी एवं बोर्ड की आरएमसी को आवधिक आधार पर प्रस्तुत की जाती है।

The Bank has a robust Operational Risk Management Framework and has also established an enabling organizational structure comprising of Board of Directors, RMC of the Board and Operational Risk Management Committee (ORMC) for effective management of Operational Risk. Review reports on Operational Risk management activities are periodically presented to ORMC and RMC of the Board.

### एएमए में परिवर्तन के लिए बैंक की पहल

#### Bank's initiative in migrating to AMA

वर्तमान में, बैंक परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की संगणना हेतु बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) का पालन कर रहा है। तथापि, उन्नत परिमापन दृष्टिकोण (एएमए) में अपेक्षित परिवर्तन के एक हिस्से के रूप में बैंक अपनी परिचालनगत जोखिम प्रबंध प्रणाली व प्रक्रिया में और सुधार करने के लिए सम्मिलित प्रयास कर रहा है। इस संबंध में बैंक के विभिन्न कार्यों से जुड़े परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन हेतु एक व्यापक

## समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

परिचालनात्मक जोखिम मूल्यांकक (कोर) का कार्यान्वयन किया गया है। इस प्रयोजन हेतु प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) तथा जोखिम व नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) का उपयोग किया जाता है। परिचालनात्मक जोखिम मापने हेतु बैंक लॉस डाटा कैचर (एलडीसी) मॉड्यूल के जरिए परिचालनात्मक हानि आंकड़ों का नियमित रूप से संग्रहण कर रहा है तथा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन हानियों को विभिन्न कारोबारी शृंखलाओं एवं इसके प्रकारों के तहत वर्गीकृत कर रहा है।

At present, the Bank follows the Basic Indicator Approach (BIA) for computation of capital charge for Operational Risk. However, as a part of intended migration to Advanced Measurement Approach (AMA), the Bank is putting concerted efforts to further improve its Operational Risk management system & procedure in a time bound manner. In this regard, Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE) has been implemented for management of Operational Risk attached to various functions of the Bank. For this purpose the Key Risk Indicator (KRI) and Risk & Control Self Assessment (RCSA) are used. For measurement of Operational Risk, the Bank is regularly collecting operational loss data across the Bank through Loss Data Capture (LDC) module and categorizes these losses under various business lines and loss types in line with the RBI guidelines.

### कारोबार निरंतरता प्रबंध (बीसीएम) के अनुपालन हेतु बैंक की पहल

#### Bank's initiatives for implementation of Business Continuity Management (BCM)

मानव जीवन एवं बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा अवरोध / आपदा के दौरान निर्बाध बैंकिंग सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने अपने विभिन्न जटिल कार्यों के लिए एक सुपरिभाषित बीसीएम व्यवस्था लागू की है, जो विनियामक आवश्यकताओं को भी पूरा करती है।

In order to safeguard the human life & Bank's assets and to ensure uninterrupted banking services during disruption/disaster, the Bank has put in place a well defined BCM for its various critical functions, which also fulfils regulatory requirements.

बीसीएम में कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा प्रबंध योजना (डीएमपी) शामिल हैं। बीसीपी दस्तावेज, अन्य बातों के साथ-साथ, कारोबार बाधित होने की स्थिति में तौर-तरीकों और इसके बाद बीसीपी द्वारा अपनाई जाने वाली नवीन प्रक्रिया को रेखांकित करता है। अवरोध की विभिन्न स्थितियों में इन योजनाओं की आघात सहनीयता का प्रायोगिक कवायदों, आपदा प्रबंधन कवायदों और बीसीपी के जरिए निरंतर परीक्षण किया जाता है। एक सशक्त और प्रभावी बीसीएम के जरिए बैंक को अपनी सेवा में निरंतरता और ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करने में सुविधा होगी। प्रणाली की असफलता के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए बैंक ने चेन्नई में एक आपदा उद्धार (डीआर) साइट की स्थापना की है। बैंक आपदा उद्धार साइट के परीक्षण के लिए आवधिक रूप से डीआर अभ्यास आयोजित करता है। बैंक में विभिन्न कोर व सहायता कार्यों के लिए लागू बीसीएम प्रक्रिया बीएस25999 मानकों को पूरा करती है।

BCM comprises of Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Management Plan (DMP). These BCM documents, inter alia, incorporate the modalities, in an event of business disruption/disaster and consequent recovery strategies & plans. The resilience of these plans under different disruption scenarios are tested on an ongoing basis through mock evacuation drills, DR drills and BCP testing exercises. A robust and effective BCM would enable the Bank to provide continuity in service and facilitate customer satisfaction. To mitigate the risk of system failure, the Bank has set up a Disaster Recovery (DR) site at Chennai. The Bank periodically carries out DR drill exercises to test the capabilities of DR site. The BCM processes followed within the Bank for various core & support functions complies with the BS25999 standards.

### तालिका डीएफ-9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

#### Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) से आशय ब्याज दर में होने वाले प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक के अर्जन तथा परिसंपत्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य में पड़ने वाले संभाव्य प्रभाव से है। ब्याज दर में सामान्य परिवर्तन के अलावा विभिन्न उत्पादों/ लिखतों में ब्याज दरों में घट-बढ़ (अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ, मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर, अग्रिमों पर उधार दर आदि) भी ब्याज दर

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(राशि मिलियन ₹ में) / (Amt in ₹ Million)

जोखिम के प्रमुख स्रोत हैं। ब्याज दरों में परिवर्तन से निवल ब्याज आय (ब्याज आय में से ब्याज व्यय घटाकर) में घट-बढ़ के माध्यम से बैंक की अर्जन पर तथा इसके साथ ही परिसंपत्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य में निवल अंतर के माध्यम से इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर भी असर पड़ता है। अर्जन और इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन की मात्रा मुख्यतः परिपक्वता के स्वरूप तथा परिमाण और बैंक की परिसंपत्तियों व देयताओं के पुनर्मूल्यन असंतुलन पर निर्भर करती है।

IRRBB refers to the potential impact on the Bank's earnings and economic value of assets and liabilities due to adverse movement in interest rates. Besides the general change in interest rate, variation in the magnitude of interest rate change among the different products/ instruments (e.g., yield on Government securities, interest rate on term deposits, lending rate on advances etc.,) it is also a significant source of interest rate risk. Changes in interest rates affect the Bank's earning through variation in its Net Interest Income (Interest Income minus Interest Expenses) as well as economic value of equity through net variation in economic value of assets and liabilities. The extent of change in earning and economic value of equity primarily depends on the nature and magnitude of maturity and re-pricing mismatches between the Bank's assets and liabilities.

ब्याज दर जोखिम प्रबंध के महत्व को समझते हुए बैंक ने एक उचित परिसंपत्ति देयता प्रबंध (एएलएम) सिस्टम तैयार किया है, जिसमें बोर्ड द्वारा अनुमोदित ब्याज दर जोखिम प्रबंध नीति तथा इस सिस्टम के लिए रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रक्रिया व सीमा संरचना शामिल की गई है। ब्याज दर जोखिम प्रबंध का उद्देश्य जोखिम के स्रोत की पहचान कर उपयुक्त पद्धति से उनका परिमाण मापना है। इस कुल ढाँचे के अंतर्गत परिपक्वता संरचना, मूल्यन, उत्पाद व ग्राहक समूह मिश्र के संबंध में उचित निधीयन, उधार और तुलन पत्र से परे रणनीतियां भी शामिल हैं। आईआरआरबीबी के लिए बैंक का सहनशीलता स्तर निवल ब्याज आय और इक्विटी में आर्थिक मूल्य पर भावी असर के संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है। ब्याज दर जोखिम प्रबंध के लिए बैंक की परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) जोखिम के मापन, निगरानी व जोखिम नियंत्रण पहल कार्य के लिए उत्तरदायी है। तुलन पत्र प्रबंध समूह (बीएसएमजी) एएलएम असंतुलन के बारे में नियमित रूप से आकलन और निगरानी करता है और इसके प्रभावी प्रबंध के लिए एल्को को रणनीति की सिफारिश करता है। दैनिक आधार पर एएलएम रिपोर्ट जनरेशन के लिए पर्याप्त सूचना प्रणाली स्थापित की गई है।

Recognizing the importance of interest rate risk management, the Bank has put in place an appropriate ALM system which incorporates the Board approved interest rate risk management policy, procedures and limit structure in line with the RBI guidelines. The objectives of interest rate risk management are to identify the sources of risks and to measure their magnitude in terms of appropriate methods. It also includes appropriate funding, lending and off-balance sheet strategies with respect to maturity structure, pricing, product and customer group mix within the overall framework. The Bank's tolerance level for IRRBB is specified in terms of potential impact of net interest income and economic value of equity. The Asset Liability Committee (ALCO) of the Bank is responsible to ensure regular measurement, monitoring and control initiatives for the Bank's interest rate risk management. Balance Sheet Management Group (BSMG) regularly measures and monitors ALM mismatches and recommends strategies to ALCO for effective management. Adequate information system has also been put in place for system based ALM report generation on a daily basis.

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिमों के मापन व निगरानी का कार्य ब्याज दर संवेदनशीलता (मूल्य का पुनर्निर्धारण) अंतर, अवधि अंतर पद्धतियों द्वारा तथा अर्जन (निवल ब्याज आय पर प्रभाव) एवं आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य (इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव) जैसे दोनों ही परिदृश्य आधारित विश्लेषणों के जरिए किया जाता है। ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर रिपोर्ट की तैयारी करते समय विभिन्न मूल्य-समूह की ब्याज दर जोखिम की दृष्टि से संवेदनशील परिसंपत्तियों व देयताओं को उनकी परिपक्वता की शेष रही अवधि या मूल्य पुनर्निर्धारण की अगली तारीख, जो भी पहले हो, के आधार पर रखा जाता है। इस रिपोर्ट के लिए अपनाई जाने वाली धारणाओं में कोर बचत बैंक जमाराशियों को '3 माह से 6 माह तक' के समूह में डालना, मूल चालू खाता जमाराशियों को '1 वर्ष से 3 वर्ष तक' के समूह में डालना तथा बीपीएलआर या आधार दर से संबद्ध अग्रिमों को '3 माह से 6 माह तक' के समूह में डालना है, क्योंकि इन परिसंपत्तियों व देयताओं के मूल्य के पुनर्निर्धारण की कोई पूर्व-विनिर्दिष्ट तारीख नहीं होती। अवधि अंतर विश्लेषण ब्याज दर की दृष्टि से संवेदनशील परिसंपत्तियों व देयताओं की अवधि व भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना के आधार पर किया जाता है। परिदृश्य विश्लेषण निवल ब्याज आय तथा विभिन्न ब्याज दर परिदृश्य के अंतर्गत पूँजी के आर्थिक मूल्य पर होने वाले प्रभाव का मापन करने के लिए किया जाता है।

## समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

Measurement and monitoring of IRRBB are carried out through the methods of Interest Rate Sensitivity (repricing) gap, Duration gap and Scenario based analysis covering both earning (impact on net interest income) and economic value perspective (impact on economic value of equity). Preparation of interest rate sensitivity gap report involves bucketing of all interest rate sensitive assets and liabilities into different time buckets based on their respective remaining term to maturity or next repricing date, whichever is earlier. Assumptions made for this report are for bucketing of core saving bank deposits into "over 3 months to 6 months", core current account deposits into "over 1 year to 3 years" and advances linked to BPLR or Base Rate into "over 3 months - 6 months" as these liabilities and assets do not have prior-specified re-pricing date. Duration gap analysis is undertaken based on computation of duration and present value of future cash flows of the interest rate sensitive assets and liabilities. Scenario analysis is carried out to measure impact on net interest income and economic value of capital under different interest rate scenario.

एल्को ब्याज दर जोखिम की नियमित रूप से निगरानी करती है तथा जमाराशियों व अग्रिमों की संरचना व वृद्धि, जमाराशियों व अग्रिमों के मूल्य-निर्धारण तथा मुद्रा बाजार परिचालन व निवेश बहियों आदि के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने का सुझाव/ निर्देश देती है, ताकि निर्धारित आंतरिक सीमाओं के भीतर आईआरआरबीयों को नियन्त्रित किया जा सके। ब्याज दर जोखिम की स्थिति से बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति तथा रिजर्व बैंक को नियमित रूप से अवगत कराया जाता है।

ALCO regularly monitors the interest rate risk exposures and suggests appropriate steps/ provides directions on composition and growth of deposits and advances, pricing of deposits and advances and management of money market operations and investment books etc., to control IRRBB within the prescribed internal limits. Interest rate risk position is periodically reported to RMC of the Board and RBI.

### ब्याज दर में 100 आधार बिंदुओं के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव Impact of parallel shift in Interest Rate by 100 basis points

		(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)
ब्याज दर परिवर्तन की तुलना में निवल ब्याज आय की संवेदनशीलता (जोखिम पर अर्जन) (समयावधि : 1 वर्ष) Sensitivity of Net Interest Income to Interest rate change (Earning at Risk) (Time Horizon: 1 year)	इवीई पर प्रभाव / Impact on EVE	ब्याज दर परिवर्तन की तुलना में इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) की संवेदनशीलता (जोखिम पर आर्थिक मूल्य) Sensitivity of Economic Value of Equity (EVE) to Interest rate change (Economic Value at Risk)
एनआईआई पर प्रभाव / Impact on NII 183.00	इवीई पर प्रभाव / Impact on EVE 11395.60	

### तालिका डीएफ-10: प्रतिपक्षी ऋण जोखिम से संबंधित सहायता पर सामान्य प्रकटन

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

बैंक में किसी परिसंपत्ति के संबंध में प्रतिपक्षी के साथ जोखिम आकलन को सुनिश्चित करने हेतु एक संरचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसमें निधि आधारित और गैर-निधि आधारित, दोनों सुविधाओं को शामिल किया जाता है। ऋण नीति, प्रतिपक्षी बैंक नीति, बाजार जोखिम व डेरिवेटिव नीति, निवेश नीति, संपाद्धिक प्रबंध नीति एवं प्रतिपक्षी जोखिम नीति के रूप में समुचित नीतिगत संरचना बनाई गई है, जो कि प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (सीसीआर) के प्रबंध के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है। विनियामक दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक की ऋण नीति के तहत बैंक की पूँजी निधि में एकल ऋणकर्ता और किसी समूह के ऋण के संबंध में प्रतिपक्षी ऋण सहायता सीमाओं की विस्तृत रूपरेखा निर्धारित की गई है। साथ ही, बैंक की निवल मालियत, कुल वचनबद्ध सहायता राशियों (टीसीई), कुल बकाया सहायता राशियों, अग्रिमों आदि के संबंध में भी विभिन्न आंतरिक ग्रावधानों को विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया गया है। पूँजी बाजार खंड पर लागू विनियामक मानदंडों के साथ-साथ खंडगत सीमाओं के रूप में विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की गई हैं। वर्तमान में बैंक द्वारा सीसीआर पर पूँजी की गणना मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर तथा बासेत III विनियमों के अनुसार की जा रही है।

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

The Bank follows a structured process to ascertain the credit risk of an asset relationship with a counter-party covering both fund based and non-fund based facilities. Suitable policy frameworks are put in place in the form of Credit policy, Counterparty-Bank Policy, Market Risk & derivative Policy, Investment Policy, Collateral Management Policy and Country Risk Policy which outline the guiding principles to manage Counterparty Credit Risk (CCR). In line with regulatory guidelines, the Credit policy of the Bank stipulates broad contours of counterparty credit exposure limits in respect of single borrower and borrowings by a group in relation to the Bank's capital fund. In addition, various internal thresholds are stipulated prudentially in relation to Net Worth, Total Committed Exposures (TCE), Total Outstanding exposure, Advances etc. Prudential limits in the form of sectoral limits are also stipulated in addition to applicable regulatory norms on the capital market segment. Currently, the Bank is computing capital on CCR following the standardized approach and adhering to regulations under Basel III.

बैंक के व्यापक रेटिंग मॉड्यूल में कई रेटिंग मॉडल शामिल हैं, जो प्रतिपक्षी की आंतरिक ऋण रेटिंग में सहायता प्रदान करते हैं। ग्राहक की सुयोग्यता और पर्याप्तता के साथ-साथ लागू शर्तों एवं निबंधनों के संबंध में उत्पाद विशेष संबंधी दिशानिर्देश भी लागू किए गए हैं। बैंक में चुनिन्दा प्रतिपक्षी बैंकों के साथ एक ऋण सहायता एनेक्स (सीएसए) व्यवस्था भी है। सीएसए डेरिवेटिव प्रतिपक्षों के बीच संपार्श्चक अंतरण के लिए निबंधनों को परिभाषित करता है, ताकि डेरिवेटिव स्थितियों से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिमों को न्यूनतम किया जा सके।

The Bank's rating module, encompassing various rating models, supports internal credit rating of counter-party. Product specific guidelines are also defined in terms of customer suitability and appropriateness along with applicable terms and conditions. The Bank also has a Credit Support Annex (CSA) arrangement with select counter-party banks. CSA defines the terms under which collateral is transferred between derivative counterparties to mitigate the credit risk arising from derivative positions.

संपार्श्चक प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों के समग्र कार्य-पहलुओं को इसके स्वीकार करने से लेकर जरूरत के समय इसकी विधिक प्रयोज्यता की प्रक्रिया तक को कवर किया जाता है। ऋण रिजर्व तैयार करने के लिए बैंक कई प्रकार की वैकल्पिक तकनीकों को संपोषित करता है, जिनमें एस्क्रो तंत्र व इस पर प्रभार लगाना, ऋण चुकौती रिजर्व खाते (डीएसआरए) को सक्रिय करना, बैंक के पास जमाराशियों पर ग्रहणाधिकार लगाना, उच्च मार्जिन की शर्त लगाना, वैयक्तिक एवं तुतीय पक्ष की गारंटी प्राप्त करना आदि शामिल हैं। बैंक ऋण फिल्टर मानकों और उत्पाद संबंधी दिशा-निर्देशों द्वारा गलत जोखिम सहायता के मामलों को पकड़ता है।

The process of Collateral Management covers the entire gamut of activities right from its acceptability to its legal enforceability at the time of need. In establishing credit reserve, the Bank caters to various alternative techniques including escrow mechanism and charges thereon, activating Debt Service Reserve Account (DSRA), lien mark on deposits with the Bank, stipulating conditions towards higher margin, obtaining personal and third party guarantee etc. Credit filtering standards and product guidelines of the Bank capture the associated wrong way risk exposure.

ऋण डेरिवेटिव हेजेज और विभिन्न प्रकार की वर्तमान संवितरित ऋण सहायता का अनुमानित मूल्य:

The notional value of credit derivative hedges and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure:

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

डेरिवेटिव / Derivatives	अनुमानित / Notional	वर्तमान एक्सपोजर Current Exposure
ब्याज दर स्वैप / Interest Rate Swaps	362274.07	8289.91
मुद्रा स्वैप / Currency Swaps	141303.33	26596.71
मुद्रा विकल्प / Currency Options	56703.52	10009.50
वायदा / Forwards	566519.96	26189.36

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

### तालिका डीएफ-11: पूँजी की संरचना

**Table DF-11: Composition of Capital**

**भाग II:** 31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त होने वाला टेम्पलेट (अर्थात् बासेल III विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि के दौरान)

**Part II: Template to be used before March 31, 2017 (i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustments)**

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ Million)

विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)

सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी: लिखत एवं आरक्षित निधियाँ

**Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves**

	बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Ref No.
1 सामान्य शेयर पूँजी के लिए अहं प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) का जोड़ Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	1,12,826.95	ए = ए1+बी2 A=A1+B2
2 प्रतिधारित उपार्जन / Retained earnings	8,150.22	बी6/B6
3 संचित व्यापक अन्य आय (और अन्य आरक्षित निधियाँ) Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	99,003.09	बी3+बी4+बी5 B3+B4+B5
4 सीईटी 1 से फेज आउट किए जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित पूँजी (केवल गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू) Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies )	-	
1 जनवरी 2018 तक डाली जाने वाली तथा परिपक्व होने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पूँजी Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018	-	
5 सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6 विनियामक समायोजन पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	2,19,980.26	
<b>सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी: विनियामक समायोजन</b> <b>Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments</b>		
7 विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन Prudential valuation adjustments	-	

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट  
**Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**

	बासेल III पूर्व मानदंड के अद्यान राशि Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Ref No.
8 गुडविल (संबंधित कर देयता को घटाकर निवल) Goodwill (net of related tax liability)	-	
9 बधक चुकौती अधिकारों के अलावा अमूर्त परिसंपत्तियाँ (संबंधित कर देयता को घटाकर निवल) Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	91.91	137.86
10 आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ / Deferred tax assets	8,004.92	12,007.37
11 नकदी-प्रवाह बचाव प्रारक्षित निधियाँ / Cash-flow hedge reserve	-	
12 प्रत्याशित हानियों की तुलना में प्रावधानों में कमी Shortfall of provisions to expected losses	-	
13 बिक्री पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ / Securitisation gain on sale	-	
14 उचित रूप से मूल्यांकित देयताओं पर अपने ऋण जारिखम में हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप अभिलाभ एवं हानियाँ Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-	
15 सुनिश्चित लाभ पेंशन निधि निवल परिसंपत्तियाँ Defined-benefit pension fund net assets	-	
16 स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट की गई तुलन पत्र पर ग्रदत्त पूँजी से निवल रूप में निर्धारित न की गई हो) Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-	
17 सामान्य इक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता Reciprocal cross-holdings in common equity	363.36	
18 ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूँजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास निर्गमित शेयर पूँजी का 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-	
19 ऐसी बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उत्तेजनीय निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास निर्गमित शेयर पूँजी का 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	-	

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट  
**Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**

	बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Ref No.
20 बंधक चुकौती अधिकार (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	-	
21 अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थागित कर परिसंपत्तियाँ (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक, संबंधित कर देयता में से घटाने पर निवल) Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	-	
22 15% की प्रारंभिक सीमा से ऊपर की राशि Amount exceeding the 15% threshold	-	
23 इसमें से: वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश of which: significant investments in the common stock of financial entities	-	
24 इसमें से: बंधक चुकौती अधिकार / of which: mortgage servicing rights	-	
25 इसमें से: अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थागित कर परिसंपत्तियाँ of which: deferred tax assets arising from temporary differences	-	
26 राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ) National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	123.59	
26 क/a इसमें से: असमेकित सहायक बीमा संस्थाओं की इक्विटी पूँजी में निवेश of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	-	
26 ख/b इसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूँजी में निवेश of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	123.59	
26 ग/c इसमें से: उन बहुलांश स्वामित्वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूँजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	
26 घ/d इसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय of which: Unamortised pension funds expenditures	-	
बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशियों के संबंध में सामान्य इक्विटी टियर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-	
इसमें से: उदाहरणार्थ: एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर वसूल न की गई हानियों से प्राप्त राशि (भारतीय संदर्भ में संगत नहीं) of which: For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	-	

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट  
Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)

	बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Ref No.
27	कठौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टियर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-
28	सामान्य इक्विटी टियर 1 में किए गए कुल विनियामक समायोजन Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	8,583.78
29	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटी 1) Common Equity Tier 1 capital (CET1)	2,11,396.48
<b>अतिरिक्त टियर 1 पूँजी : लिखत / Additional Tier 1 capital: instruments</b>		
30	सामान्य शेयर पूँजी के लिए अर्ह प्रत्यक्ष रूप से जारी और संबंधित स्टॉक अधिशेष का जोड़ (31+32) Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	-
31	इसमें से: लागू लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थाई गैर संचयी अधिमान शेयर) of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-
32	इसमें से: लागू लेखांकन मानदंडों (स्थाई ऋण लिखत) के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	-
33	एटी1 पूँजी से फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन पूँजी लिखत Capital instruments subject to phase out arrangements from AT1 capital	13,670.40
34	सहायक कंपनियों द्वारा निर्धारित तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह एटी1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और पंक्ति 5 में शामिल न किए गए सीईटी1 लिखत) Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	-
35	इसमें से: फेज आउट के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-
36	विनियामक समायोजनों के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	13,670.40
<b>अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: विनियामक समायोजन Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments</b>		

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट

**Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**

	बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Ref No.
37 स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश Investments in own Additional Tier 1 instruments	-	
38 पारस्परिक अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में प्रतिधारित Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	594.43	
39 ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूँजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास निर्गमित शेयर पूँजी की 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	-	
40 ऐसी बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास निर्गमित शेयर पूँजी का 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-	
41 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41क+41ख) National specific regulatory adjustments (41a+41b)	-	
41क/a असमेकित सहायक बीमा संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में निवेश Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-	
41ख/b उन बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	
बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशियों के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	12,237.93	
इसमें से: आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ / of which: Deferred Tax Assets	12,007.37	
इसमें से : गैर-वित्तीय सहायक कंपनी में निवेश of which: Investment in Non - Financial subsidiary	92.69	
इसमें से : गुडविल एवं अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ of which: Goodwill & Other Intangible Assets	137.86	

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट  
Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)

	बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Ref No.
42 कठौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-	
43 अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में किए गए कुल विनियामक समायोजन Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	12,832.36	
44 अतिरिक्त टियर 1 पूँजी (एटी1) / Additional Tier 1 capital (AT1)	838.04	
44 क/a पूँजी पर्याप्तता के लिए गणना में ली गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	838.04	
45 टियर 1 पूँजी (टी1=सीईटी1+एटी1) (29+44क) Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)	2,12,234.52	
<b>टियर 2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान</b>		
<b>Tier 2 capital: instruments and provisions</b>		
46 प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित अह टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष का जोड़ Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	-	
47 टियर 2 में से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित पूँजी लिखत Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	94,812.00	डी/D
48 सहायक कंपनियों द्वारा निर्गमित तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टियर 2 में अनुमत राशि) टियर 2 लिखत ( और पंक्ति 5 अथवा 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 एवं एटी 1 लिखत) Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	-	
49 इसमें से: फेज आउट के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-	
50 प्रावधान / Provisions	20,250.90	ई1+ई2/E1+E2
51 विनियामक समायोजनों के पूर्व टियर 2 पूँजी Tier 2 capital before regulatory adjustments	1,15,062.90	
<b>टियर 2 पूँजी : विनियामक समायोजन</b>		
<b>Tier 2 capital: regulatory adjustments</b>		
52 स्वयं के अतिरिक्त टियर 2 लिखतों में निवेश Investments in own Tier 2 instruments	-	
53 पारस्परिक अतिरिक्त टियर 2 लिखतों में प्रतिधारिता Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	890.32	

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट

**Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**

	बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Ref No.
54 ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहाँ बैंक के पास निर्गमित शेयर पूंजी की 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक)	-	
Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	-	
55 ऐसी बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों (पात्र अधिविक्रय का निवल)	-	
Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-	
56 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क+56 ख)	92.69	
National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56 क/a इसमें से: असमेकित सहायक कपनियों की टियर 2 पूंजी में निवेश of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	92.69	
56 ख/b इनमें से: उत्तर बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	
बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशियों के संबंध में अतिरिक्त टियर 2 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-	
57 टियर 2 पूंजी के प्रति कुल विनियामक समायोजन Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	983.01	
58 टियर 2 पूंजी (टी2) / Tier 2 capital (T2)	1,14,079.89	
58 क/a पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना में ली गई टियर 2 पूंजी Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	105698.24	
58 ख/b टियर 2 पूंजी के लिए गणना में ली गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	-	
58 ग/c पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58a + 58 ख) Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)	105938.97	
59 कुल पूंजी (टीसी=टी1+ टी2) (45+58ग) Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)	317932.76	
60 कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ (60क + 60 ख+ 60 ग) Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	26,99,161.37	
60 क/a इसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ of which: total credit risk weighted assets	23,87,191.69	

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट  
Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)

	बासेल III पूर्व मानदंड के अद्यान राशि Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Ref No.
60 ख/ब इसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ of which: total market risk weighted assets	1,91,734.68	
60 ग/स इसमें से: कुल परिचालनागत जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ पूंजीगत अनुपात of which: total operational risk weighted assets Capital ratios	1,20,234.99	
<b>पूंजीगत अनुपात / Capital Ratios</b>		
61 सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में) Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.83%	
62 टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में) Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.86%	
63 कुल पूंजी (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में) Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.78%	
64 संस्था आधारित बफर आवश्यकता (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त) Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.00%	
65 इनमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता of which: capital conservation buffer requirement	0.00%	
66 इनमें से: बैंक आधारित प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00%	
67 इसमें से: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता of which: G-SIB buffer requirement	0.00%	
68 बफर संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में) Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	2.83%	
<b>राष्ट्रीय न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III से भिन्न हो)</b> <b>National minima (if different from Basel III)</b>		
69 राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70 राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	
71 राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%	

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)

कटौती के लिए प्रारम्भिक सीमा से नीचे की राशियाँ (जोखिम भार से पहले)  
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)

72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूँजी में गैर-उल्लेखनीय निवेश Non-significant investments in the capital of other financial entities	2,504.06
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश Significant investments in the common stock of financial entities	9,681.90
74	बंधक चुकौती अधिकार (संबंधित कर देयता में से निवल) Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	ला.न. N.A.
75	अस्थाई अंतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (संबंधित कर देयता में से निवल) Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	ला.न. N.A.

टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू होने वाली ऊपरी सीमाएं

Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2

76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व) Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	20,250.90
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन पर सीमा Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	29,839.90
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व) Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	ला.न. N.A.
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन पर सीमा Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	ला.न. N.A.

फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन पूँजीगत लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)

Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)

80	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान सीमा Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	ला.न. N.A.
----	--	---------------

बासेल III पूर्व मानदंड  
के अधीन राशि  
Amounts Subject  
to Pre-Basel III  
Treatment

संदर्भ सं.  
Ref No.

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट  
Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)

	बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Ref No.
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद सीमा से अधिक) Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	ला.न. N.A.
82	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर वर्तमान सीमा Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	ला.न. N.A.
83	सीमा के कारण एटी 1 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद सीमा से अधिक) Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	ला.न. N.A.
84	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों पर वर्तमान सीमा Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	ला.न. N.A.
85	सीमा के कारण टी 2 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद सीमा से अधिक) Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	ला.न. N.A.

### टेम्पलेट के लिए टिप्पणियाँ

#### Notes to the Template

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

टेम्पलेट की पंक्ति संख्या Row No. of the template	विवरण / Particular	
10	<p>संचित हानियों से सम्बद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ Deferred tax assets associated with accumulated losses</p> <p>आस्थगित कर देयताओं में आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (संचित हानियों से सम्बद्ध को छोड़कर) Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability</p> <p>पंक्ति 10 में दर्शाए अनुसार कुल / Total as indicated in row 10</p>	20,012.29 20,012.29

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

टेम्पलेट की पंक्ति संख्या Row No. of the template	विवरण / Particular	
19	<p>यदि सहायक बीमा कंपनियों में किए गए निवेशों को पूँजी से पूर्ण रूप से घटाया न गया हो और उसे 10% की प्रारम्भिक सीमा के अंतर्गत कटौती हेतु पात्र माना गया हो तो उसके परिणामस्वरूप बैंक की पूँजी में हुई वृद्धि  If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank</p> <p>इसमें से : सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी में हुई वृद्धि  of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital</p> <p>इनमें से: अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में हुई वृद्धि  of which: Increase in Additional Tier 1 capital</p> <p>इनमें से: अतिरिक्त टियर 2 पूँजी में हुई वृद्धि / of which: Increase in Tier 2 capital</p>	
26 ख/b	<p>यदि असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूँजी में किए गए निवेशों की कटौती न की जाती हो तब भारित जोखिम निम्नानुसार होगा:  If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:</p> <p>(i) सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि / Increase in Common Equity Tier 1 capital</p> <p>(ii) जोखिम भारित परिसंपत्तियों में वृद्धि / Increase in risk weighted assets</p>	
44 क/a	<p>पूँजी पर्याप्तता के लिए हिसाब में न ली गई आधिक्य अतिरिक्त टियर 1 पूँजी (पंक्ति 44 में दर्शाए गए अनुसार अतिरिक्त टियर 1 पूँजी और पंक्ति 44 क में दर्शाए अनुसार स्वीकार्य अतिरिक्त टियर 1 पूँजी के बीच का अंतर)  Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)</p> <p>इसमें से: आधिक्य अतिरिक्त टियर 1 पूँजी जिसे पंक्ति 58 ख के अंतर्गत टियर 2 पूँजी माना गया है  of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b</p>	
50	<p>टियर 2 पूँजी में शामिल किए गए पात्र प्रावधान  Eligible Provisions included in Tier 2 capital</p> <p>टियर 2 पूँजी में शामिल की गई पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ  Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital</p> <p>पंक्ति 50 का योग / Total of row 50</p>	12,543.14 7,707.76 20,250.90
58 क/a	<p>पूँजी पर्याप्तता के लिए गणना में न ली गई आधिक्य अतिरिक्त टियर 2 पूँजी (पंक्ति 58 में दर्शाए गए अनुसार टियर 2 पूँजी और पंक्ति 58 क में दर्शाए अनुसार टियर 2 पूँजी के बीच का अंतर)  Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)</p>	

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

**तालिका डीएफ-12: पूँजीगत संरचना - समाधान अपेक्षाएं**

**Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements**

चरण 1. / Step 1.

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

	वित्तीय विवरण के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation		
			रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date
<b>A पूँजी एवं देयताएं / Capital &amp; Liabilities</b>				
प्रदत पूँजी / Paid-up Capital	16,039.39	16,039.39		
रिजर्व और अधिशेष / Reserves & Surplus	2,20,277.99	2,21,873.96		
अल्पसंख्यक हित / Minority Interest	436.39	-		
<b>कुल पूँजी / Total Capital</b>	<b>2,36,753.77</b>	<b>2,37,913.35</b>		
<b>जमाराशियाँ / Deposits</b>	<b>23,55,728.42</b>	<b>23,56,787.73</b>		
इसमें से : बैंकों से जमाराशियाँ / of which: Deposits from banks	2,82,129.85	2,82,129.85		
इसमें से: ग्राहक से जमाराशियाँ / of which: Customer deposits	20,73,598.57	20,74,657.88		
इसमें से: अन्य जमाराशियाँ (कृपया विवरित करें) of which: Other deposits (pl.specify)	-	-		
<b>उधार राशियाँ / Borrowings</b>	<b>6,01,462.90</b>	<b>6,01,462.90</b>		
इसमें से: रिजर्व बैंक से / of which: From RBI	0.00	0.00		
इसमें से : बैंकों से / of which: From banks	9,767.00	9,767.00		
इसमें से: अन्य संस्थानों व एजेंसियों से of which: From other institutions & agencies	0.00	0.00		
इसमें से: अन्य (कृपया विवरित करें) भारत से बाहर उधार राशियाँ सामान्य पुनर्वित, फ्लेक्सी बांड तथा ओम्नी बांड of which: Others (pl. specify) Borrowings Outside India, General Refinance, Flexi Bonds and Omni Bonds	4,28,947.90	4,28,947.90		
इसमें से : पूँजीगत लिखते / of which: Capital instruments	1,62,748.00	1,62,748.00		
<b>अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities &amp; provisions</b>	<b>95,637.21</b>	<b>94,078.97</b>		
<b>कुल / Total</b>	<b>32,89,582.30</b>	<b>32,90,242.96</b>		

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(रुपये मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

	वित्तीय विवरण के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation
	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date
<b>ख परिसंपत्तियां</b> <b>B Assets</b>		
<b>भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष जमाराशि</b> <b>Cash and balances with Reserve Bank of India</b>	<b>1,27,146.07</b>	<b>1,27,111.16</b>
<b>बैंक की जमाराशि तथा मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि</b> <b>Balance with banks and money at call and short notice</b>	<b>41,342.36</b>	<b>41,079.31</b>
<b>निवेश: / Investments:</b>	<b>10,34,190.95</b>	<b>10,36,828.17</b>
इसमें से: सरकारी प्रतिभूतियाँ of which: Government securities	6,70,351.83	6,69,793.98
इसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ of which: Other approved securities	0.00	0.00
इसमें से: शेयर / of which: Shares	31,136.69	31,136.69
इसमें से: डिबेंचर एवं बांड / of which: Debentures & Bonds	1,41,513.52	1,41,416.50
इसमें से: सहायक संस्थाएं संयुक्त उद्यम / सहयोगी of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	255.00	4,403.98
इसमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड इत्यादि) of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	1,90,933.91	1,90,077.02
<b>ऋण एवं अग्रिम / Loans and advances</b>	<b>19,76,860.04</b>	<b>19,76,860.04</b>
इसमें से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम of which: Loans and advances to banks	1,093.19	1,093.19
इसमें से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम of which: Loans and advances to customers	19,75,766.85	19,75,766.85
<b>अचल परिसंपत्तियां / Fixed assets</b>	<b>29,995.22</b>	<b>29,905.40</b>
<b>अन्य परिसंपत्तियां / Other assets</b>	<b>80,047.66</b>	<b>78,458.89</b>
इसमें से: गुडविल एवं अमूर्त परिसंपत्तियां of which: Goodwill and intangible assets	-	-

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

	वित्तीय विवरण के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation
	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date
इसमें से: आस्थगित कर परिसंपत्तियां of which: Deferred tax assets	20,003.65	20,001.44
<b>समेकन पर गुडविल / Goodwill on consolidation</b>	-	-
<b>लाभ-हानि खाते में डेबिट शेष Debit balance in Profit &amp; Loss account</b>	-	-
<b>कुल परिसंपत्तियां/ Total Assets</b>	<b>32,89,582.30</b>	<b>32,90,242.96</b>

चरण 2. / Step 2.

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	संदर्भ संख्या Reference No.
	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	
<b>क पूँजी एवं देयताएं</b>			
<b>A Capital &amp; Liabilities</b>			
<b>i प्रदत पूँजी / Paid-up Capital</b>	<b>16,039.39</b>	<b>16,039.39</b>	
इसमें से: सीईटी1 के लिए पात्र राशि of which: Amount eligible for CET1	16,039.39	16,039.39	ए1/A1
इसमें से: एटी1 के लिए पात्र राशि of which: Amount eligible for AT1	-	-	
<b>रिजर्व और अधिशेष / Reserves &amp; Surplus</b>	<b>2,20,277.99</b>	<b>2,21,873.96</b>	
इसमें से: सीईटी1 लिए पात्र राशि of which : Amount eligible for CET 1	2,03940.87	2,03940.87	बी1/1
शेयर प्रीमियम / Share Premium	96,787.56	96,787.56	बी2/B2

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	संदर्भ संख्या Reference No.
सांविधिक रिजर्व / Statutory Reserve	28,010.00	28,010.00	बी3/B3
पूँजी रिजर्व / Capital Reserve	5,961.45	5,904.51	बी4/B4
अन्य प्रकटित निर्बंध रिजर्व Other Disclosed Free Reserve	66,452.32	65,088.57	बी5/B5
लाभ-हानि में शेष राशि Balance in P&L account	5648.19	8,150.22	बी6/B6
पुनर्मूल्यन रिजर्व (विनियामक उद्देश्य हेतु इसमें 55% डिस्काउंट किया गया) Revaluation Reserve (For regulatory purpose it is discounted at 55%)	17,128.37	7,707.76	ई2/E2
अल्पसंख्यक हित / Minority Interest	436.39	-	
<b>कुल पूँजी / Total Capital</b>	<b>2,36,317.38</b>	<b>2,37,913.35</b>	
<b>ii जमाराशियाँ / Deposits</b>	<b>23,55,728.42</b>	<b>23,56,787.73</b>	
इसमें से: बैंकों से जमाराशियाँ of which: Deposits from banks	2,82,129.85	2,82,129.85	
इसमें से: ग्राहक जमाराशियाँ of which: Customer deposits	20,73,598.57	20,74,657.88	
इसमें से: अन्य जमाराशियाँ (कृपया विविर्दिष्ट करें) of which: Other deposits (pl. specify)	-	-	
<b>iii उधार राशियाँ / Borrowings</b>	<b>6,01,462.90</b>	<b>6,01,462.90</b>	
इसमें से: रिजर्व बैंक से / of which: From RBI	0.00	0.00	
इसमें से: बैंकों से / of which: From banks	9,767.00	9,767.00	
इसमें से: अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से of which: From other institutions & agencies	-	-	

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	संदर्भ संख्या Reference No.
इसमें से: अन्य (कृपया विवरिष्ट करें) भारत से बाहर उथार राशियाँ, सामान्य पुनर्वित्त, फ्लेक्सी बॉंड तथा ओम्नी बॉंड			
of which: Others (pl. specify) Borrowings Outside India, General Refinance, Flexi Bonds and Omni Bonds		4,28,947.90	4,28,947.90
इसमें से: पूँजीगत लिखते			
of which: Capital instruments		1,08,482.40	1,62,748.00
इसमें से पात्र अतिरिक्त टियर 1			
of which eligible Additional Tier 1		13,670.40	13,670.40
इसमें से पात्र टियर 2			
of which eligible Tier 2		94,812.00	94,812.00
<b>iv अन्य देयताएं एवं प्रावधान</b> <b>Other liabilities &amp; provisions</b>		<b>95,637.21</b>	<b>94,078.97</b>
इसमें से: मानक परिसंपत्तियों पर विवेकशील प्रावधान तथा अतिरिक्त प्रावधान जो टियर 2 पूँजी के अंतर्गत शामिल एनपीए की बिक्री से उत्पन्न हुए.			
of which: Prudential provisions against standard assets and excess provisions which arise on account of sale of NPAs included under Tier 2 Capital		12,543.14	12,543.14
<b>कुल / Total</b>	<b>32,89,582.30</b>	<b>32,90,242.96</b>	<b>ई1/E1</b>

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	संदर्भ संख्या Reference No.
<b>ख परिसंपत्ति</b> <b>B Asset</b>			
i भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि <b>Cash and balances with Reserve Bank of India</b>	1,27,146.07	1,27,111.16	
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि <b>Balance with banks and money at call and short notice</b>	41,342.36	41,079.31	
ii निवेश / Investments	10,34,190.95	10,36,828.17	
इसमें से : सरकारी प्रतिभूतियाँ of which: Government securities	6,70,351.83	6,69,793.98	
इसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ of which: Other approved securities	-	-	
इसमें से: शेयर / of which: Shares	31,136.69	31,136.69	
इसमें से: डिबेचर एवं बांड of which: Debentures & Bonds	1,41,513.52	1,41,416.50	
इसमें से: सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम/सहयोगी / of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	255.00	4,403.98	
इसमें से: अन्य (वाणिज्यिक कागजात, म्यूच्युअल फंड इत्यादि) of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	1,90,933.91	1,90,077.02	
iii ऋण एवं अग्रिम / Loans and advances	19,76,860.04	19,76,860.04	
इसमें से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम of which: Loans and advances to banks	1,093.19	1,093.19	
इसमें से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम of which: Loans and advances to customers	19,75,766.85	19,75,766.85	

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	संदर्भ संख्या Reference No.
<b>iv अचल परिसंपत्तियां / Fixed assets</b>	<b>29,995.22</b>	<b>29,905.40</b>	
जिनमें से अमूर्त / out of which intangibles	250.42	229.76	एफ/F
<b>अन्य परिसंपत्तियां / Other Assets</b>	<b>80,047.66</b>	<b>78,458.89</b>	
इसमें से: गुडविल एवं अमूर्त परिसंपत्तियां of which: Goodwill and intangible assets	-	-	
जिनमें से: / Out of which:	-	-	
गुडविल / Goodwill	-	-	
अन्य अमूर्त (एमएसआर को छोड़कर) Other intangibles (excluding MSRs)		-	
आस्थगित कर परिसंपत्तियां / Deferred tax assets	20,003.65	20,012.26	जी/G
<b>vi समेकन पर गुडविल Goodwill on consolidation</b>	-	-	
<b>vii लाभ-हानि खाते में डेबिट शेष Debit balance in Profit &amp; Loss account</b>	-	-	
<b>कुल परिसंपत्तियां / Total Assets</b>	<b>32,89,582.30</b>	<b>32,90,242.96</b>	

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

चरण 3: / Step 3:

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

**बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेप्लेट का उद्धरण (जोड़े गए कॉलम सहित) - तालिका डीएफ-11 (भाग I / भाग II जो भी लागू हो)**

**सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखते एवं रिजर्व**

**Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)**

### Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूँजी के घटक Component of Regulatory capital reported by bank	चरण 2 से समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र के नंबरों/पत्रों के संदर्भ पर आधारित स्रोत Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1 सीधे जारी किए गए अर्हताप्राप्त सामान्य शेयर (तथा गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के समतुल्य) पूँजी के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	16,039.39	ए1/A1
2 प्रतिधारित आय / Retained earnings	8,150.22	बी6/B6
3 अन्य संचित व्यापक आय (तथा अन्य रिजर्व) Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	1,95,790.65	बी2+बी3+बी4+बी5 B2+B3+B4+B5
4 सीईटी1 से फेज आउट के अधीन सीधे जारी पूँजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू) Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-	
5 सहायक संस्थाओं द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि) Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	

## समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूँजी के घटक Component of Regulatory capital reported by bank	चरण 2 से समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र के नंबरों/पत्रों के संदर्भ पर आधारित स्रोत Source based on reference numbers/letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
6 विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	2,19980.26	
7 विवेकशील मूल्यनिर्धारण समायोजन Prudential valuation adjustments	-	
8 गुडविल ( संबद्ध कर देयता को घटा कर ) Goodwill (net of related tax liability)	-	

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## तालिका डोएफ - 13: विनियापक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1 निर्गमकर्ता
2 विशेष पहचान (अर्थात् सोयूप्ससआईपी, आईएसआईएन या निजी नियोजन के लिए ल्यूप्सबर्ग पहचान)
3 लिखत के शासी नियम

विनियापक अधिक्रिया	
4 संक्षेपकालीन बासेल III नियम	टियर 2
5 उत्तर-संक्षेपकालीन बासेल III नियम	अपार्ट
6 एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल
7 लिखत का प्रकार	गैण (अवर) टियर II बॉण्ड
8 विनियापक पौँजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तरीख तक, इनिलिवर में)	8000
9 लिखत का सम्पूर्ण	₹ 10 लाख
10 लेखांकन वर्गीकरण	देवता
11 जारी करने को मूल तारीख	25 अक्टूबर 2012
12 स्थायी या दिनांकित	दिनांक
13 मूल परिपक्वता तारीख	25 अक्टूबर 2037
14 पूर्व-परिविहीन अनुपोत्तन के अर्थीन निर्गमकर्ता की पांगा	ही
15 वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	25 अक्टूबर 2022 ; ₹ 1000.00
16 अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों	25 अक्टूबर 2027 तथा 25 अक्टूबर 2032
कृपन / लाभाशा	स्थायी
17 रियर या अस्थिर लाभाशा/ कृपन	9.25% प्रतिवर्ष
18 कृपन दर तथा अन्य संर्वैधित सुचकांक	नहीं
19 लाभाशा रोकने संबंधी अनुदेश	अनिवार्य
20 पूणि, विवकाशीन, अंशतः विवकाशीन या अनिवार्य	नहीं
21 विद्युतील या मोरन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विडामानता	असचयी
22 असचयी या संचयी	अपरिवर्तनीय
23 परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	लागू नहीं
24 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्तरक	लागू नहीं
25 यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं
27 यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तन हो सके	लागू नहीं
29 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं
30 अवलेखन विशेषताएं	नहीं
31 यदि अवलेखन, अवलेखन उत्तरक	लागू नहीं
32 यदि अवलेखन, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33 यदि अवलेखन, स्थायी या असचयी	लागू नहीं
34 यदि असचयी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं
35 परिसमाप्त में गोपीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिकारी प्रकार के लिखत का उल्लेख करे)	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गोण होगे.
36 गैर-अनुपालनकर्ता संक्षेपकार्ता विशेषताएं	नहीं
37 यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
<b>INE008A08U43</b>	<b>INE008A08U50</b>	<b>INE008A08T61</b>
1. इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडी का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004.	इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडी का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004.	1. इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडी का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004.
2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता विशेषितेश.	2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता विशेषितेश.	2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता विशेषितेश.
3. सेबो (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबो (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सुचौबद्धता) विनियम, 2008.	3. सेबो (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सुचौबद्धता) विनियम, 2008.	3. सेबो (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सुचौबद्धता) विनियम, 2008.
4. संक्षेपकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2
5. उत्तर-संक्षेपकालीन बासेल III नियम	अपार्ट	अपार्ट
6. एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7. लिखत का प्रकार	गैण (अवर) टियर II बॉण्ड	गैण (अवर) टियर II बॉण्ड
8 विनियापक पौँजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तरीख तक, इनिलिवर में)	8000	4040
9 लिखत का सम्पूर्ण	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10 लेखांकन वर्गीकरण	देवता	देवता
11 जारी करने को मूल तारीख	25 अक्टूबर 2012	13 दिसंबर 2012
12 स्थायी या दिनांकित	दिनांक	दिनांक
13 मूल परिपक्वता तारीख	25 अक्टूबर 2037	13 दिसंबर 2027
14 पूर्व-परिविहीन अनुपोत्तन के अर्थीन निर्गमकर्ता की पांगा	ही	ही
15 वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	25 अक्टूबर 2022 ; ₹ 1000.00	13 दिसंबर 2022 ; ₹ 505.00
16 अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों	स्थायी	स्थायी
कृपन / लाभाशा	9.25% प्रतिवर्ष	9.38% प्रतिवर्ष
17 रियर या अस्थिर लाभाशा/ कृपन	नहीं	नहीं
18 कृपन दर तथा अन्य संर्वैधित सुचकांक	अनिवार्य	अनिवार्य
19 लाभाशा रोकने संबंधी अनुदेश	नहीं	नहीं
20 पूणि, विवकाशीन, अंशतः विवकाशीन या अनिवार्य	असचयी	असचयी
21 विद्युतील या मोरन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विडामानता	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
22 असचयी या संचयी	लागू नहीं	लागू नहीं
23 परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	लागू नहीं	लागू नहीं
24 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्तरक	लागू नहीं	लागू नहीं
25 यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
26 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27 यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तन हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं
29 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं
30 अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं
31 यदि अवलेखन, अवलेखन उत्तरक	लागू नहीं	लागू नहीं
32 यदि अवलेखन, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
33 यदि अवलेखन, स्थायी या असचयी	लागू नहीं	लागू नहीं
34 यदि असचयी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35 परिसमाप्त में गोपीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिकारी प्रकार के लिखत का उल्लेख करे)	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गोण होगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गोण होगे.
36 गैर-अनुपालनकर्ता संक्षेपकार्ता विशेषताएं	नहीं	नहीं
37 यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं

# Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

**Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument**

1 Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2 Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08U43	INE008A08U50	INE008A08T61
3 Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	"Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Master Circular No. DBOD.No.BP.BC.16 /21.06.001/2012-13 dated July 02, 2012, issued by the Reserve Bank of India covering Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Market Discipline- New Capital Adequacy Framework (NCAF) and laying down the terms and conditions applicable to subordinated debt to qualify for inclusion as Lower Tier II Capital. 3. SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, as amended and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2012 issued vide circular no. LAD-NRO/GN/2012-13/19/5392 dated October 12, 2012, as amended."	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.
<b>Regulatory treatment</b>			
4 Transitional Basel III rules	Tier 2 Ineligible group & solo	Tier 2 Ineligible group & solo	Tier 2 Ineligible group & solo
5 Post-transitional Basel III rules	Subordinated (Lower) Tier II Bonds 8000	Subordinated (Lower) Tier II Bonds 4040	Subordinated (Lower) Tier II Bonds 3875.2
6 Eligible at solo/group/ group & solo	₹ 10 lakh Liability	₹ 10 lakh Liability	₹ 10 lakh Liability
7 Instrument type	25-Oct-12 Dated	13-Dec-12 Dated	4-Aug-11 Dated
8 Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	25-Oct-37 Yes	13-Dec-27 Yes	4-Aug-21 No
9 Par value of instrument	25-Oct-2022 ; ₹ 1000.00	"13-Dec-2022; ₹ 505.00"	"Nil; ₹ 484.40"
10 Accounting classification	25-Oct-2027 and 25-Oct-2032	Nil	Nil
11 Original date of issuance	Fixed 9.25% p.a.	Fixed 8.99% p.a.	Fixed 9.38% p.a.
12 Perpetual or dated	No	No	No
13 Original maturity date	Mandatory	Mandatory	Mandatory
14 Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No
15 Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Noncumulative Nonconvertible	Noncumulative Nonconvertible	Noncumulative Nonconvertible
16 Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA
Coupons / dividends	NA	NA	NA
17 Fixed or floating dividend/coupon	NA	NA	NA
18 Coupon rate and any related index	NA	NA	NA
19 Existence of a dividend stopper	NA	NA	NA
20 Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	NA	NA	NA
21 Existence of step up or other incentive to redeem	NA	NA	NA
22 Noncumulative or cumulative	NA	NA	NA
23 Convertible or non-convertible	NA	NA	NA
24 If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25 If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26 If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27 If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28 If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29 If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30 Write-down feature	NA	NA	NA
31 If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32 If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33 If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36 Non-compliant transitioned features	No	No	No
37 If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## तालिका डोएफ - 13: विनियापक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1 निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
2 विशेष पहचान (अधीन सौयोग्यसआईपी, आईएसआईएन या निजी निवोजन के लिए ल्यूमर्बाई पहचान)	1. इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडो का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004.	1. इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडो का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004.	1. इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडो का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004.
3 लिखत के शासी नियम	2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश.	2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश.	2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश.
4 संक्षणकालीन बासेल III नियम	3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.	3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.	3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.
5 उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	4. समूह एवं एकल अपात्र	4. समूह एवं एकल अपात्र	4. समूह एवं एकल अपात्र
6 एकल / समूह / समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7 लिखत का प्रकार	गैंग (अवर) टियर II बॉण्ड	गैंग (अवर) टियर II बॉण्ड	गैंग (अवर) टियर II बॉण्ड
8 विनियापक पूँजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, र मिलियन में)	2000	4000	4800
9 लिखत का सम्पूर्ण	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10 लेखांकन वार्ताकरण	देयता	देयता	देयता
11 जारी करने के मूल तारीख	26 नवंबर 2011	30 नवंबर 2011	13 दिसंबर 2011
12 स्थायी या दिनांकित	दिनाक	दिनाक	दिनाक
13 मूल परिपक्वता तारीख	26 नवंबर 2021	30 नवंबर 2021	13 दिसंबर 2021
14 पूर्ण-पर्याप्ती अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	नहीं	नहीं	नहीं
15 वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	शून्य; ₹ 200.00	शून्य; ₹ 500.00	शून्य; ₹ 600.00
16 अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों	शून्य	शून्य	शून्य
कृपन / लासेंश	स्थायी	स्थायी	स्थायी
17 स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कृपन	9.72% प्रतिवर्ष	9.7% प्रतिवर्ष	9.45% प्रतिवर्ष
18 कृपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	नहीं	नहीं	नहीं
19 लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
20 पूर्णतः विवेकाधीन, अशांत विवेकाधीन या अनिवार्य	नहीं	नहीं	नहीं
21 वृद्धिशील या पोलन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विद्यमानता	असंचयी	असंचयी	असंचयी
22 असंचयी या संचयी	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
23 परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
24 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्तरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25 यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27 यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29 यदि परिवर्तनीय हो तो निखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30 अवरोद्धन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
31 यदि अवलेखन, अवलेखन उत्तरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32 यदि अवलेखन, शून्य या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33 यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34 यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35 परिवर्तन में गौणिकारण अनुक्रम में रिकॉर्ड (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गोण होंगे।	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गोण होंगे।	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गोण होंगे।
36 गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37 यांद हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

# Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

**Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument**

1 Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2 Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08T79	INE008A08T87	INE008A08T95
3 Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.
<b>Regulatory treatment</b>			
4 Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5 Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6 Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7 Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8 Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	2000	4000	4800
9 Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10 Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11 Original date of issuance	26-Nov-11	30-Nov-11	13-Dec-11
12 Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13 Original maturity date	26-Nov-21	30-Nov-21	13-Dec-21
14 Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No
15 Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"Nil; ₹ 250.00"	"Nil; ₹ 500.00"	"Nil; ₹ 600.00"
16 Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
Coupons / dividends			
17 Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18 Coupon rate and any related index	9.72% p.a.	9.7% p.a.	9.45% p.a.
19 Existence of a dividend stopper	No	No	No
20 Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21 Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22 Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23 Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24 If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25 If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26 If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27 If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28 If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29 If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30 Write-down feature	No	No	No
31 If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32 If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33 If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36 Non-compliant transitioned features	No	No	No
37 If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## तालिका डोएफ - 13: विनियापक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1 निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08U19	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08S70	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08S88
2 विशिष्ट पहचान (अर्थात् सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या नियंत्रित के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियम, 2008.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियम, 2008.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियम, 2008.
3 लिखत के शासी नियम	टियर 2 अपाव्र समूह एवं एकल गौण (अवर) टियर II बॉण्ड 8000	अतिरिक्त टियर I अपाव्र समूह एवं एकल बैमोयादी टियर I बॉण्ड 1960.8	टियर 2 अपाव्र समूह एवं एकल गौण (अवर) टियर II बॉण्ड 2416
विनियापक अधिक्रिया	₹ 10 लाख देवता 15 मार्च 2012 दिनाक 15 मार्च 2022 नहीं शून्य; ₹ 1000.00 शून्य	₹ 10 लाख देवता 22 जून 2010 बैमोयादी कोई परावरता नहीं हीं 22 जून 2020; ₹ 245.10 शून्य	₹ 10 लाख देवता 8 जुलाई 2010 दिनाक 8 जुलाई 2025 नहीं शून्य; ₹ 302.00 शून्य
4 संकरणकालीन बासेल III नियम	स्थायी 9.25% प्रतिवर्ष नहीं	स्थायी 9.15% प्रतिवर्ष नहीं	स्थायी 8.57 % प्रतिवर्ष नहीं
5 उत्तर-संकरणकालीन बासेल III नियम	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
6 एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पावता	नहीं	नहीं	नहीं
7 लिखत का प्रकार	असंचयी	असंचयी	असंचयी
8 विनियापक पूँजी में मात्र राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, इनियापक में)	अपरिवर्तीय या अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की पावता	अपरिवर्तीय या अनुमोदन के अधीन नियमकर्ता की पावता	अपरिवर्तीय या अनुमोदन के अधीन नियमकर्ता की पावता
9 लिखत का सम्पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं
10 लेखांकन वर्गीकरण	नहीं	नहीं	नहीं
11 जारी करने की पूल तारीख	नहीं	नहीं	नहीं
12 स्थायी या दिनांकित	दिनाक	दिनाक	दिनाक
13 पूल परिपक्वता तारीख	नहीं	नहीं	नहीं
14 पूर्व-पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की पावता	नहीं	नहीं	नहीं
15 बैकल्पिक मांग तारीख, आक्रमिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	शून्य;	22 जून 2020; ₹ 245.10	शून्य;
16 अनुवर्ती मांग तारीख, यदि लागू हो	शून्य	शून्य	शून्य
कूपन / लाभांश			
17 रियर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	स्थायी	स्थायी	स्थायी
18 कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	9.25% प्रतिवर्ष	9.15% प्रतिवर्ष	8.57 % प्रतिवर्ष
19 लाभांश रोकने संबंधी अनुदंश	नहीं	नहीं	नहीं
20 एप्पेंट, विवेकाधीन, अंशतः विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अधिकारीक विवेकाधीन	अनिवार्य
21 बैंडपील या मोबान के लिए अन्य ग्रेट्साहनों की विडमानता	नहीं	हीं, 50 बीपीएस की बढ़त	नहीं
22 असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23 परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24 यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25 यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27 यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तन हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30 अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31 यदि अवलेखन, अवलेखन उत्तरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32 यदि अवलेखन, पूर्ण या अधिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33 यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34 यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35 परिसमाप्तन में गोपीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावों से गौण होंगे। इन लिखतों में निवेशकों के दावों से अग्रणी रहेंगे तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे।		लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे।
36 गैर-अनुपालनकर्ता संकरण विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
37 यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

# Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

**Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument**

1 Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2 Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08U19	INE008A08S70	INE008A08S88
3 Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.		
<b>Regulatory treatment</b>			
4 Transitional Basel III rules	Tier 2	Additional Tier 1	Tier 2
5 Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6 Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7 Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Perpetual Tier I Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8 Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	8000	1960.8	2416
9 Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10 Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11 Original date of issuance	15-Mar-12	22-Jun-10	8-Jul-10
12 Perpetual or dated	Dated	Perpetual	Dated
13 Original maturity date	15-Mar-22	No maturity	8-Jul-25
14 Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes	No
15 Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"Nil; ₹ 1000.00"	"22-Jun-2020; ₹ 245.10"	"Nil; ₹ 302.00"
16 Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
<b>Coupons / dividends</b>			
17 Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18 Coupon rate and any related index	9.25% p.a.	9.15% p.a.	8.57 % p.a.
19 Existence of a dividend stopper	No	No	No
20 Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Partially discretionary	Mandatory
21 Existence of step up or other incentive to redeem	No	Yes. Step up 50 bps	No
22 Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23 Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24 If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25 If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26 If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27 If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28 If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29 If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30 Write-down feature	No	No	No
31 If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32 If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33 If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The claims of investors shall be superior to the claims of investors in equity shares and subordinated to the claims of all other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36 Non-compliant transitioned features	No	No	No
37 If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## तालिका डोएफ - 13: विनियापक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

### 1 निर्गमकर्ता

- 2 विशिष्ट पहचान (अर्थात् सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या नियां नियोजन के लिए सूचनाएँ पहचान)
- 3 लिखत के शासी नियम

### विनियापक अधिकारिया

- 4 संकमणकालीन बायसेल III नियम
- 5 उत्तर-संकमणकालीन बायसेल III नियम
- 6 एकल/ समूह/ एवं एकल की पात्रता
- 7 लिखत का प्रकार
- 8 विनियापक पूँजी में भाग्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, इनिलियम में)
- 9 लिखत का सम्पत्त्य
- 10 लेखांकन वर्तीकरण
- 11 जारी करने की पूल तारीख
- 12 स्थायी या दिनांकित
- 13 मूल परिपक्वता तारीख
- 14 पूर्ण-पर्याप्ती अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग
- 15 वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि
- 16 अनुवर्ती मांग तारीख, यदि लागू हो
- कूपन / लाभांश
- 17 स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन
- 18 कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक
- 19 लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश
- 20 पूर्णतः विवेकाधीन, अंशतः विवेकाधीन या अनिवार्य
- 21 वृद्धिशाली या मोरचन के लिए अन्य ग्रेट्साहनों की विद्यमानता
- 22 असंचयी या संचयी
- 23 परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय
- 24 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक
- 25 यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णतः या अंशतः
- 26 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर
- 27 यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन
- 28 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तन हो सके
- 29 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे
- 30 अवलेखन विशेषताएँ
- 31 यदि अवलेखन, अवलेखन उत्प्रेरक
- 32 यदि अवलेखन, पूर्ण या आंशिक
- 33 यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी
- 34 यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन संत्र का विवरण
- 35 परिसमाप्त में गोपीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)
- 36 गैर-अनुपालनकर्ता संकमण विशेषताएँ
- 37 यदि हों, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख

### आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

INE008A08S96

- इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004.
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश।
- सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.

टियर 2

अपात्र

समूह एवं एकल

गौण (अवर) टियर II बॉण्ड

320

₹ 10 लाख

देवता

29 सितंबर 2010

दिनांक

29 सितंबर 2020

नहीं

शून्य;

₹ 40.00

शून्य

स्थायी

8.63% प्रतिवर्ष

नहीं

अनिवार्य

नहीं

असंचयी

अपरिवर्तनीय

लागू नहीं

### आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

INE008A08T20

- इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004.
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश।
- सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.

टियर 2

अपात्र

समूह एवं एकल

गौण (अवर) टियर II बॉण्ड

6848.8

₹ 10 लाख

देवता

20 जनवरी 2011

दिनांक

20 जनवरी 2026

हीं

20 जनवरी 2021;

₹ 856.10

शून्य

स्थायी

9.04% प्रतिवर्ष

नहीं

अनिवार्य

हीं, 25 बीपीएस की बढ़त

असंचयी

अपरिवर्तनीय

लागू नहीं

### आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

INE008A08T46

- इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004.
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश।
- सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.

टियर 2

अपात्र

समूह एवं एकल

प्रवर्ट टियर II बॉण्ड

8000

₹ 10 लाख

देवता

25 मार्च 2011

दिनांक

25 मार्च 2026

हीं

25 मार्च 2021;

₹ 1000.00

शून्य

स्थायी

नहीं

अस्थिर

आशिक विवेकाधिकार

नहीं

असंचयी

अपरिवर्तनीय

लागू नहीं

इन लिखतों में निवेशकों के दावों से गौण होंगे।

शामिल होने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से अग्रणी रहेंगे तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे।

नहीं

लागू नहीं

36 गैर-अनुपालनकर्ता संकमण विशेषताएँ

37 यदि हों, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख

01 कॉर्पोरेट विहंगावलोकन

01 CORPORATE OVERVIEW

02 सांविधिक रिपोर्टें

02 STATUTORY REPORTS

03 वित्तीय विवरण

03 FINANCIAL STATEMENTS

# Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

**Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument**

1 Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2 Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08S96	INE008A08T20	INE008A08T46
3 Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.		
<b>Regulatory treatment</b>			
4 Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5 Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6 Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7 Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Upper Tier II Bonds
8 Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	320	6848.8	8000
9 Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10 Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11 Original date of issuance	29-Sep-10	20-Jan-11	25-Mar-11
12 Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13 Original maturity date	29-Sep-20	20-Jan-26	25-Mar-26
14 Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes	Yes
15 Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"Nil; ₹ 40.00"	"20-Jan-2021; ₹ 856.10"	"25-Mar-2021; ₹ 1000.00"
16 Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
<b>Coupons / dividends</b>			
17 Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18 Coupon rate and any related index	8.63% p.a.	9.04% p.a.	9.40% p.a.
19 Existence of a dividend stopper	No	No	No
20 Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Partially discretionary
21 Existence of step up or other incentive to redeem	No	Yes. Step up 25 bps	No
22 Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23 Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24 If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25 If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26 If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27 If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28 If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29 If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30 Write-down feature	No	No	No
31 If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32 If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33 If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The claims of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36 Non-compliant transitioned features	No	No	No
37 If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## तालिका डोएफ - 13: विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1 निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08R55	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08R63	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08R89
2 विशिष्ट पहचान (अर्थात् सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या नियंत्रित विवाह के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	1. इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक और इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं संचयनकर्ता) विनियम, 2008.	1. इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक और इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं संचयनकर्ता) विनियम, 2008.	1. इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक और इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं संचयनकर्ता) विनियम, 2008.
3 लिखत के शासी नियम	टियर 2 अपाव्र समूह एवं एकल प्रवर टियर II बॉण्ड 4000	टियर 2 अपाव्र समूह एवं एकल प्रवर टियर II बॉण्ड 4000	टियर 2 अपाव्र समूह एवं एकल गौण (अवर) टियर II बॉण्ड 256
विनियामक अधिक्रिया	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
4 संकेतनकालीन बासेल III नियम	देवता	देवता	देवता
5 उत्तर-संकेतनकालीन बासेल III नियम	26 जून 2009	25 सितंबर 2009	29 सितंबर 2009
6 एकल/ समूह/ समूह एवं एकल को पावता	दिनांक	दिनांक	दिनांक
7 लिखत का प्रकार	26 जून 2024	25 सितंबर 2024	29 सितंबर 2018
8 विनियामक पूँजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, ₹ मिलियन में)	ही	ही	नहीं
9 लिखत का सम्पूर्ण	26 जून 2019; ₹ 500.00	25 सितंबर 2019; ₹ 500.00	शृंखला: ₹ 40.00
10 लेडारकन वर्गीकरण	शृंखला	शृंखला	शृंखला
11 जारी करने की मूल तारीख	ही	ही	नहीं
12 स्थायी या दिनांकित	स्थायी	स्थायी	स्थायी
13 मूल परिपक्वता तारीख	8.95% प्रतिवर्ष	9.00% प्रतिवर्ष	9.37% प्रतिवर्ष
14 पूर्व-पर्यवर्ती अनुपोदन के अर्थात् निर्गमकर्ता की भाग	नहीं	नहीं	नहीं
15 वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	आशिक विवेकाधिकार	आशिक विवेकाधिकार	अनिवार्य
16 अनुर्भाव मांग तारीखें, यदि लागू हों	ही, 50 बीपीएस की बढ़त	ही, 50 बीपीएस की बढ़त	नहीं
कूपन / लाभांश	असंचयी	अपरिवर्तीय	अपरिवर्तीय
17 स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
18 कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
19 लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
20 पूर्णतः विवेकाधीन, अंशतः विवेकाधीन या अनिवार्य	असंचयी	अपरिवर्तीय	अपरिवर्तीय
21 बद्दीशील या मोर्चन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विद्यमानता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
22 असंचयी या संचयी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
23 अपरिवर्तीय या अपरिवर्तीय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
24 यदि परिवर्तीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25 यदि परिवर्तीय हो तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26 यदि परिवर्तीय हो तो अपरिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27 यदि परिवर्तीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28 यदि परिवर्तीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29 यदि परिवर्तीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30 अवलोखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31 यदि अवलोखन, अवलोखन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32 यदि अवलोखन, पूर्ण या अशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33 यदि अवलोखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34 यदि अस्थायी अवलोखन, अवलोखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35 परिसमाप्त में गोपीकारण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे टियर I पूँजी में शामिल होने के लिए पांच लिखतों में निवेशकों के दावों से अग्रणी रहेंगे तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे।	इन लिखतों में निवेशकों के दावे टियर I पूँजी में शामिल होने के लिए पांच लिखतों में निवेशकों के दावों से अग्रणी रहेंगे तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे।	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे।
36 गैर-अनुपालनकर्ता संकेतन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
37 यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

# Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

**Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument**

1 Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2 Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08R55	INE008A08R63	INE008A08R89
3 Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.
<b>Regulatory treatment</b>			
4 Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5 Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6 Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7 Instrument type	Upper Tier II Bonds	Upper Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8 Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	4000	4000	256
9 Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10 Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11 Original date of issuance	26-Jun-09	25-Sep-09	29-Sep-09
12 Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13 Original maturity date	26-Jun-24	25-Sep-24	29-Sep-18
14 Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	No
15 Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"26-Jun-2019; ₹ 500.00"	"25-Sep-2019; ₹ 500.00"	"Nil; ₹ 40.00"
16 Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
<b>Coupons / dividends</b>			
17 Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18 Coupon rate and any related index	8.95% p.a.	9.00% p.a.	9.37% p.a.
19 Existence of a dividend stopper	No	No	No
20 Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary	Partially discretionary	Mandatory
21 Existence of step up or other incentive to redeem	Yes. Step up 50 bps	Yes. Step up 50 bps	No
22 Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23 Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24 If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25 If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26 If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27 If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28 If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29 If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30 Write-down feature	No	No	No
31 If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32 If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33 If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital and subordinate to the claims of all other creditors.	The claims of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital and subordinate to the claims of all other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36 Non-compliant transitioned features	No	No	No
37 If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## तालिका डोएफ - 13: विनियापक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1 निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08R97	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08S13	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08S21
2 विशिष्ट पहचान (अर्थात् सीध्याएसआईपी, आईएसआईएन या नियंत्रित प्रशासन के लिए ब्लॉकबर्ग पहचान)	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं संचयन) विनियम, 2008.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं संचयन) विनियम, 2008.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं संचयन) विनियम, 2008.
3 लिखत के शासी नियम	टियर 2 अपाव्र समूह एवं एकल प्रवर टियर II बॉण्ड 2280 ₹ 10 लाख देयता	टियर 2 अपाव्र समूह एवं एकल गौण (अवर) टियर II बॉण्ड 2420 ₹ 10 लाख देयता	अतिरिक्त टियर I अपाव्र समूह एवं एकल बैंकोंयादी टियर I बॉण्ड 2204 ₹ 10 लाख देयता
विनियापक अधिक्रिया	19 नवंबर 2009 दिनांक	23 नवंबर 2009 दिनांक	23 दिसंबर 2009 बैंकोंयादी
4 संक्रमणकालीन बासेल III नियम	हाँ	नहीं	हाँ
5 उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	19 नवंबर 2019; ₹ 285.00	शून्य;	9.20% प्रतिवर्ष
6 एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	शून्य	₹ 302.50	शून्य
7 लिखत का प्रकार	असचेती	असचेती	असचेती
8 विनियापक पूँजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, ₹ मिलियन में)	अपरिवर्तीय	अपरिवर्तीय	अपरिवर्तीय
9 लिखत का सम्पन्नत्व	नहीं	नहीं	नहीं
10 लेखांकन वर्गीकरण	आशिक विवेकाधिकारी हाँ, 50 बैंकोंएस की बढ़त असचेती	अधिकारीय नहीं	आशिक विवेकाधिकारी हाँ, 50 बैंकोंएस की बढ़त असचेती
11 जारी करने की मूल तारीख	अपरिवर्तीय	अपरिवर्तीय	अपरिवर्तीय
12 स्थायी या दिनांकित	नहीं	नहीं	नहीं
13 मूल परिवर्तन तारीख	अपरिवर्तीय	अपरिवर्तीय	अपरिवर्तीय
14 हूँ-पर्वतीय अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की पात्रा	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
15 वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
16 अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हो	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
कूपन / लाभांश	स्थायी	स्थायी	स्थायी
17 स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	8.90% प्रतिवर्ष	8.53% प्रतिवर्ष	9.20% प्रतिवर्ष
18 कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	नहीं	नहीं	नहीं
19 लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	आशिक विवेकाधिकारी	अधिकारीय	आशिक विवेकाधिकारी
20 पूर्णतः विवेकाधीन, अंशतः विवेकाधीन या अनिवार्य	हाँ, 50 बैंकोंएस की बढ़त असचेती	नहीं	हाँ, 50 बैंकोंएस की बढ़त असचेती
21 बैंकिशील या मोबान के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विविधानता	अपरिवर्तीय	अपरिवर्तीय	अपरिवर्तीय
22 असचेती या संचयी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
23 परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
24 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्तरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25 यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27 यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तन हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तन करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30 अवलोकन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31 यदि अवलोकन, अवलोकन उत्तरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32 यदि अवलोकन, पूर्ण या आशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33 यदि अवलोकन, स्थायी या अस्थीयी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34 यदि अस्थीयी अवलोकन, अवलोकन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35 परिसमाप्त में गोपीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिकारी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे से लिखत के दावे से अंतर होता है। इन लिखतों में शामिल होने के लिए यात्रा लिखतों में निवेशकों के दावों से अंगूष्ठे रहेंगे तथा अंत लेनदारों के दावों से गौण होंगे।	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे।	इन लिखतों में निवेशकों के दावे इकाईयी शर्यतों में निवेशकों के दावों से अंगूष्ठे रहेंगे तथा अंत लेनदारों के दावों से गौण होंगे।
36 गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
37 यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

# Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

**Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument**

1 Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2 Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08R97	INE008A08S13	INE008A08S21
3 Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.
<b>Regulatory treatment</b>			
4 Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Additional Tier 1
5 Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6 Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7 Instrument type	Upper Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Perpetual Tier I Bonds
8 Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	2280	2420	2204
9 Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10 Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11 Original date of issuance	19-Nov-09	23-Nov-09	23-Dec-09
12 Perpetual or dated	Dated	Dated	Perpetual
13 Original maturity date	19-Nov-24	23-Nov-19	No maturity
14 Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	No	Yes
15 Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"19-Nov-2019; ₹ 285.00"	"Nil; ₹ 302.50"	"23-Dec-2019; ₹ 275.50"
16 Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
<b>Coupons / dividends</b>			
17 Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18 Coupon rate and any related index	8.90% p.a.	8.53% p.a.	9.20% p.a.
19 Existence of a dividend stopper	No	No	No
20 Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary	Mandatory	Partially discretionary
21 Existence of step up or other incentive to redeem	Yes. Step up 50 bps	No	Yes. Step up 50 bps
22 Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23 Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24 If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25 If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26 If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27 If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28 If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29 If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30 Write-down feature	No	No	No
31 If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32 If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33 If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital and subordinate to the claims of all other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The claims of investors shall be superior to the claims of investors in equity shares and subordinated to the claims of all other creditors.
36 Non-compliant transitioned features	No	No	No
37 If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## तालिका डोएफ - 13: विनियापक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

### 1 निर्गमकर्ता

- 2 विशिष्ट पहचान (अर्थात् सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियोगन के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)
- 3 लिखत के शासी नियम

### विनियापक अधिक्रिया

- 4 संक्रमणकालीन बासेल III नियम
- 5 उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम
- 6 एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता
- 7 लिखत का प्रकार
- 8 विनियापक पूँजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, इ मिलियन में)
- 9 लिखत का सम्पत्य
- 10 लेखांकन वर्कार्करण
- 11 जारी करने की मूल तारीख
- 12 स्थायी या दिनांकित
- 13 मूल परिपक्वता तारीख
- 14 पूँजी-परिवर्ती अनुपादन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग
- 15 वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि
- 16 अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हो
- कृपया / लाभांश
- स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपमान
- कूपमान दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक
- लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश
- पृष्ठांति: विवेकाधीन, अंशतः विवेकाधीन या अनिवार्य
- 21 द्वादशील या मोदन के लिए अन्य प्रेस्ताहनों की विद्यमानता
- 22 असंचयी या संचयी
- 23 परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय
- 24 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक
- 25 यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णांश: या अंगतः:
- 26 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर
- 27 यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन
- 28 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके
- 29 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे
- 30 अवलोकन विशेषताएं
- 31 यदि अवलोकन, अवलेखन उत्प्रेरक
- 32 यदि अवलोकन, पूर्ण या आशिक
- 33 यदि अवलोकन, स्थायी या अस्थायी
- 34 यदि अस्थायी अवलोकन, अवलेखन तंत्र का विवरण
- 35 परिसमाप्त में गोपीणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिगमीन प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)
- 36 गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएं
- 37 यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख

### आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

INE008A08539

1. इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004.
2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश.
3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (क्रण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं संचालन) विनियम, 2008.

### आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

### आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

INE008A08547

1. इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004.
2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश.
3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (क्रण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं संचालन) विनियम, 2008.

### आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

INE008A08554

1. इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004.
2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश.
3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (क्रण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं संचालन) विनियम, 2008.

### अतिरिक्त टियर I

### अपात्र

### अतिरिक्त टियर I

### अपात्र

### टियर 2

### अप

# Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

**Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument**

1 Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2 Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08S39	INE008A08S47	INE008A08S54
3 Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.
<b>Regulatory treatment</b>			
4 Transitional Basel III rules	Additional Tier 1	Tier 2	Additional Tier 1
5 Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6 Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7 Instrument type	Perpetual Tier I Bonds	Upper Tier II Bonds	Perpetual Tier I Bonds
8 Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	2449.6	4009.6	4400
9 Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10 Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11 Original date of issuance	29-Jan-10	3-Feb-10	10-Mar-10
12 Perpetual or dated	Perpetual	Dated	Perpetual
13 Original maturity date	No maturity	3-Feb-25	No maturity
14 Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes
15 Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"29-Jan-2020; 306.20"	"03-Feb-2020 ₹ 501.20"	"10-Mar-2020; ₹ 550.00"
16 Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
Coupons / dividends			
17 Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18 Coupon rate and any related index	9.25% p.a.	8.65% p.a.	9.65% p.a.
19 Existence of a dividend stopper	No	No	No
20 Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary	Partially discretionary	Partially discretionary
21 Existence of step up or other incentive to redeem	"Yes. Step up 50 bps"	"Yes. Step up 50 bps"	"Yes. Step up 50 bps"
22 Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23 Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24 If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25 If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26 If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27 If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28 If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29 If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30 Write-down feature	No	No	No
31 If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32 If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33 If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of investors shall be superior to the claims of investors in equity shares and subordinated to the claims of all other creditors.	The claims of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital and subordinate to the claims of all other creditors.	The claims of investors shall be superior to the claims of investors in equity shares and subordinated to the claims of all other creditors.
36 Non-compliant transitioned features	No	No	No
37 If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## तालिका डोएफ - 13: विनियापक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1 निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08S62	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08P73	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08Q31
2 विशिष्ट पहचान (अर्थात् सीध्याएसआईपी, आईएसआईएन या नियोजितान के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं संवैधानिकता) विनियम, 2008.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.
3 लिखत के शासी नियम	टियर 2 अपाव्र समूह एवं एकल गौण (अवर) टियर II बॉण्ड 4800 ₹ 10 लाख देवता 23 मार्च 2010 दिनांक 23 मार्च 2020 नहीं शून्य; ₹ 600.00 शून्य	टियर 2 अपाव्र समूह एवं एकल गौण (अवर) टियर II बॉण्ड 240 ₹ 10 लाख देवता 13 जून 2008 दिनांक 13 अक्टूबर 2015 नहीं शून्य; ₹ 150.00 शून्य	टियर 2 अपाव्र समूह एवं एकल गौण (अवर) टियर II बॉण्ड 128 ₹ 10 लाख देवता 29 सितंबर 2008 दिनांक 29 सितंबर 2016 नहीं शून्य; ₹ 40.00 शून्य
विनियापक अभिक्रिया	स्थायी	स्थायी	स्थायी
4 संक्रमणकालीन बासेल III नियम	9.05% प्रतिवर्ष	10.39% प्रतिवर्ष	11.24% प्रतिवर्ष
5 उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	नहीं	नहीं	नहीं
6 एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की प्राप्तता	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
7 लिखत का प्रकार	नहीं	नहीं	नहीं
8 विनियापक पूँजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, ₹ मिलियन में)	असंचय	असंचय	असंचय
9 लिखत का समूहस्त्व	असंचय	असंचय	असंचय
10 लेखांकन वर्गीकरण	परिवर्तनीय	परिवर्तनीय	परिवर्तनीय
11 जारी करने की मूल तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12 स्थायी या दिनांकित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
13 मूल परिपक्वता तारीख	असंचय	असंचय	असंचय
14 धूर्घ-पर्यावरकी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की पापा	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
15 वैकल्पिक पांग तारीख, आकस्मिक पांग तारीख और प्रतिदान राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16 अनुवर्ती पांग तारीखें, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कूपन / लाभांश			
17 स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन			
18 कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक			
19 लाभांश रोकने संबंधी अनुदंष्ट			
20 पूर्णतः विवेकाधीन, अंशतः विवेकाधीन या अनिवार्य			
21 बुद्धिशील या मोर्चन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विश्वामयता			
22 असंचयी या संचयी			
23 परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय			
24 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्तरक			
25 यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णतः या अंशतः			
26 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर			
27 यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन			
28 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तन हो सके			
29 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तन करे			
30 अवलोकन विशेषताएं			
31 यदि अवलोकन, अवलोकन उत्तरक			
32 यदि अवलोकन, पूर्ण या अंशिक			
33 यदि अवलोकन, स्थायी या असंचयी			
34 यदि असंचयी अवलोकन, अवलोकन तंत्र का विवरण			
35 परिसमाप्त में गोपीणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत असंचयी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	लिखत अन्य लेनदेनों के दावों से गोण होंगे।	लिखत अन्य लेनदेनों के दावों से गोण होंगे।	लिखत अन्य लेनदेनों के दावों से गोण होंगे।
36 गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएँ			
37 यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	नहीं	नहीं	नहीं
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

# Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

**Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument**

1 Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2 Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08S62	INE008A08P73	INE008A08Q31
3 Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.
<b>Regulatory treatment</b>			
4 Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5 Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6 Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7 Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8 Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	4800	240	128
9 Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10 Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11 Original date of issuance	23-Mar-10	13-Jun-08	29-Sep-08
12 Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13 Original maturity date	23-Mar-20	13-Oct-15	29-Sep-16
14 Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No
15 Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"Nil; ₹ 600.00"	"Nil; ₹ 150.00"	"Nil; ₹ 40.00"
16 Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
Coupons / dividends			
17 Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18 Coupon rate and any related index	9.05% p.a.	10.39% p.a.	11.24% p.a.
19 Existence of a dividend stopper	No	No	No
20 Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21 Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22 Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23 Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24 If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25 If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26 If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27 If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28 If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29 If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30 Write-down feature	No	No	No
31 If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32 If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33 If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36 Non-compliant transitioned features	No	No	No
37 If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## तालिका डोएफ - 13: विनियापक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1 निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08Q15	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08Q56	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08Q80
2 विशिष्ट पहचान (अर्थात् सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	1. इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.	1. इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.	1. इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ब्रून प्रतिभूतियों का निर्गम एवं संचालन) नियम, 2008.
3 लिखत के शासी नियम	टियर 2 अपात्र समूह एवं एकल प्रवर टियर II बोण्ड 5200 ₹ 10 लाख देवता 29 सितंबर 2008 दिनांक 29 सितंबर 2023 हीं 29 सितंबर 2018; ₹ 650.00 शन्य	टियर 2 अपात्र समूह एवं एकल प्रवर टियर II बोण्ड 4000 ₹ 10 लाख देवता 29 अक्टूबर 2008 दिनांक 29 अक्टूबर 2023 हीं 29 अक्टूबर 2018; ₹ 500.00 शन्य	अतिरिक्त टियर I अपात्र समूह एवं एकल बैमोयादी टियर I बोण्ड 2656 ₹ 10 लाख देवता 26 मार्च 2009 बैमोयादी कोई परिपक्वता नहीं हीं 26 मार्च 2019; ₹ 332.00 शन्य
विनियापक अधिक्रिया	स्थायी	स्थायी	स्थायी
4 संक्रमणकालीन बासेल III नियम	11.15% प्रतिवर्ष नहीं	11.40% प्रतिवर्ष नहीं	9.50% प्रतिवर्ष नहीं
5 उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	आशिक विवेकाधिकार	आशिक विवेकाधिकार	आशिक विवेकाधिकार
6 एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	हीं, 50 बीपीएस की बढ़त असंचयी	हीं, 50 बीपीएस की बढ़त असंचयी	हीं, 50 बीपीएस की बढ़त असंचयी
7 लिखत का प्रकार	अपरिवर्तीय	अपरिवर्तीय	अपरिवर्तीय
8 विनियापक पूँजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, इ मिलियन में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9 लिखत का सम्पत्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10 लेखांकन वर्कार्करण	नहीं	नहीं	नहीं
11 जारी करने की मूल तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12 स्थायी या दिनांकित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
13 मूल परिपक्वता तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
14 घूँ-पर्वतीय अनुप्रयोग के अधीन निर्गमकर्ता की पात्रता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15 वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16 अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कृपया / लाभांश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
17 स्प्रिंग या अस्प्रिंग लाभांश/ कूपम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
18 कूपम दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
19 लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
20 पृष्ठांतः विवेकाधीन, अंशतः विवेकाधीन या अनिवार्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21 द्वादशील या मोदन के लिए अन्य प्रेस्ताहनों की विद्यमानता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
22 असंचयी या संचयी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
23 परिवर्तीय या अपरिवर्तीय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
24 यदि परिवर्तीय हो तो परिवर्तन उत्तरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25 यदि परिवर्तीय हो तो पूर्णांशः या अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26 यदि परिवर्तीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27 यदि परिवर्तीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28 यदि परिवर्तीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29 यदि परिवर्तीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30 अवलोकन विशेषांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31 यदि अवलोकन, अवलेखन उत्तरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32 यदि अवलोकन, पूर्ण या आशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33 यदि अवलोकन, स्थायी या अंशयोगी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34 यदि अंशयोगी अवलोकन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35 परिसमाप्त में गोपालिकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे टियर I पूँजी में शामिल होने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से अग्रणी रहेंगे तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे।	इन लिखतों में निवेशकों के दावे टियर I पूँजी में शामिल होने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से अग्रणी रहेंगे तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे।	इन लिखतों में निवेशकों के दावे इक्विटी शेयरों में निवेशकों के दावों से अग्रणी रहेंगे तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे।
36 गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषांग	नहीं	नहीं	नहीं
37 यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

# Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

**Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument**

1 Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2 Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08Q15	INE008A08Q56	INE008A08Q80
3 Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.
<b>Regulatory treatment</b>			
4 Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Additional Tier 1
5 Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6 Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7 Instrument type	Upper Tier II Bonds	Upper Tier II Bonds	Perpetual Tier I Bonds
8 Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5200	4000	2656
9 Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10 Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11 Original date of issuance	29-Sep-08	29-Oct-08	26-Mar-09
12 Perpetual or dated	Dated	Dated	Perpetual
13 Original maturity date	29-Sep-23	29-Oct-23	No maturity
14 Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes
15 Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"29-Sep-2018; ₹ 650.00"	"29-Oct-2018; ₹ 500.00"	"26-Mar-2019; ₹ 332.00"
16 Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
Coupons / dividends			
17 Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18 Coupon rate and any related index	11.15% p.a.	11.40% p.a.	9.50% p.a.
19 Existence of a dividend stopper	No	No	No
20 Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary	Partially discretionary	Partially discretionary
21 Existence of step up or other incentive to redeem	"Yes. Step up 50 bps"	"Yes. Step up 50 bps"	"Yes. Step up 50 bps"
22 Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23 Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24 If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25 If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26 If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27 If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28 If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29 If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30 Write-down feature	No	No	No
31 If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32 If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33 If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital and subordinate to the claims of all other creditors.	The claims of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital and subordinate to the claims of all other creditors.	The claims of investors shall be superior to the claims of investors in equity shares and subordinated to the claims of all other creditors.
36 Non-compliant transitioned features	No	No	No
37 If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

**तालिका डीएफ - 13: विनियामक पंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट**

1	निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
2	विशिष्ट पहचान (अर्थात् सीयूपसार्आईपी, आईएसआईएन या निजी निवेशक के लिए ब्लॉकबर्ग पहचान)	INE008A08R14	INE008A08N00	INE008A08N18
3	लिखत के शासी नियम	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडा का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आर्बीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिशूलियों का निर्गम एवं सुचीबद्धता) विनियम, 2008.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडा का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आर्बीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडा का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आर्बीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.
4	संक्षमणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	उत्तर-संक्षमणकालीन बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	प्रब्रह्म टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड
8	विनियापक पूँजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, र मिलियन में)	2800	0	230.4
9	लिखत का सम्पूर्ण	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10	लेखाकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने की मूल तारीख	31 मार्च 2009	6 अप्रैल 2007	7 मई 2007
12	स्थायी या दिनांकित	दिनांक	दिनांक	दिनांक
13	मूल परिपक्वता तारीख	31 मार्च 2024	6 जुलाई 2014	7 मई 2017
14	पूर्ण-परिवीर्ती अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	हाँ	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तारीख, आकर्षक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	31 मार्च 2019; ₹ 350.00	शून्य	शून्य; ₹ 48.00
16	अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों कृपया / लाभार्थी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
17	स्थिर या अस्थिर लाभार्थी/ कृपन	9.50% प्रतिवर्ष	10.09% प्रतिवर्ष	10.10% प्रतिवर्ष
18	कृपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	नहीं	नहीं	नहीं
19	लाभार्था राशने संबंधी अनुदंडा	आंशिक विवेकाधिकार	आनंदार्थी	अनिवार्य
20	पूर्णता: विवेकाधीन, अंशतः: विवेकाधीन या अनिवार्य	हाँ, 50 बोर्पेस की बढ़ता असंचयी	नहीं	नहीं
21	वृद्धिरैशल या मोर्चन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विवरानता	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
22	असंचयी या संचयी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्तरेक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो पूँजी: या अंशतः:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलोकन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलोकन, अवलोकन उत्तरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलोकन, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलोकन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलोकन, अवलोकन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	पारस्परामरण में गौणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करे)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे टियर I पूँजी में शामिल होने के लिए प्राप्त लिखतों में निवेशकों के दावों से अंग्रेजी रहेंगे तथा अन्य लेनदेनों के दावों से गौण होंगे।	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे।	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे।
36	गैर-अनुपालनकर्ता संक्षमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

# Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

**Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument**

1 Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2 Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08R14	INE008A08N00	INE008A08N18
3 Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.
<b>Regulatory treatment</b>			
4 Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5 Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6 Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7 Instrument type	Upper Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8 Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	2800	0	230.4
9 Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10 Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11 Original date of issuance	31-Mar-09	6-Apr-07	7-May-07
12 Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13 Original maturity date	31-Mar-24	6-Jul-14	7-May-17
14 Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	No	No
15 Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"31-Mar-2019; ₹ 350.00"	"Nil; ₹ 480.00"	"Nil; ₹ 48.00"
16 Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
<b>Coupons / dividends</b>			
17 Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18 Coupon rate and any related index	9.50% p.a.	10.09% p.a.	10.10% p.a.
19 Existence of a dividend stopper	No	No	No
20 Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary	Mandatory	Mandatory
21 Existence of step up or other incentive to redeem	"Yes. Step up 50 bps"	No	No
22 Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23 Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24 If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25 If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26 If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27 If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28 If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29 If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30 Write-down feature	No	No	No
31 If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32 If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33 If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital and subordinate to the claims of all other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36 Non-compliant transitioned features	No	No	No
37 If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## तालिका डोएफ - 13: विनियापक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1 निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08N42	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08N75	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08O33
2 विशिष्ट पहचान (अर्थात् सेव्योपासार्डी, आईएसआईएन या नियंत्रित नियम के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	1. इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबो (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.	1. इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबो (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.	1. इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबो (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.
3 लिखत के शासी नियम	टियर 2 अपाव्र समृद्ध एवं एकल गोप्य (अवर) टियर II बॉण्ड 0	टियर 2 अपाव्र समृद्ध एवं एकल गोप्य (अवर) टियर II बॉण्ड 0	टियर 2 अपाव्र समृद्ध एवं एकल गोप्य (अवर) टियर II बॉण्ड 2400
विनियापक अधिक्रिया	₹ 10 लाख देवता	₹ 10 लाख देवता	₹ 10 लाख देवता
4 संकपणकालीन बासेल III नियम	10 अगस्त 2007	29 सितंबर 2007	1 जनवरी 2008
5 उत्तर-संकपणकालीन बासेल III नियम	दिनांक	दिनांक	दिनांक
6 एकल/ समृद्ध/ समृद्ध एवं एकल की पावता	10 अगस्त 2014	29 सितंबर 2014	1 जनवरी 2018
7 लिखत का प्रकार	नहीं शून्य; ₹ 300.00	नहीं शून्य; ₹ 40.00	नहीं शून्य
8 विनियापक पंजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, इनिलियन में)	स्थायी	स्थायी	स्थायी
9 लिखत का सम्पूर्ण	9.59% प्रतिवर्ष	9.79% प्रतिवर्ष	9.35% प्रतिवर्ष
10 लेखांकन वर्गीकरण	नहीं	नहीं	नहीं
11 जारी करने की मूल तारीख	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
12 स्थायी या दिनांकित	नहीं	नहीं	नहीं
13 मूल परिपक्वता तारीख	असंचयी	असंचयी	असंचयी
14 पूर्व-पर्यवर्ती अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की सांगा	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
15 वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	लाभांश रोकने संबंधी अनुमोदन	लाभांश रोकने संबंधी अनुमोदन	लाभांश रोकने संबंधी अनुमोदन
16 अनुवर्ती मांग तारीख, यदि लागू हो	पर्याप्ति: विवेकाधीन या अनिवार्य	पर्याप्ति: विवेकाधीन या अनिवार्य	पर्याप्ति: विवेकाधीन या अनिवार्य
कूपन / लाभांश	नहीं	नहीं	नहीं
17 रियर या अंतिम लाभांश/ कूपन	शून्य	शून्य	शून्य
18 कूपन दर तथा अन्य संबंधित सुचकांक	₹ 300.00	₹ 40.00	₹ 500.00
19 लाभांश रोकने संबंधी अनुमोदन	शून्य	शून्य	शून्य
20 पर्याप्ति: विवेकाधीन, अंशतः विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21 ब्रिटिशील या मीचन के लिए अन्य प्रोत्याहनों की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं
22 असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23 परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्तरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25 यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णांश: या अंशतः:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27 यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जैसे परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30 अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31 यदि अवलेखन, अवलेखन उत्तरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32 यदि अवलेखन, पूर्ण या अंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33 यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34 यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35 परिसमाप्त में गोपीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधियानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गोप्य होगे।	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गोप्य होगे।	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गोप्य होगे।
36 गैर-अनुपालनकर्ता संक्षण विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
37 यदि हो, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

# Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

**Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument**

1 Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2 Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08N42	INE008A08N75	INE008A08O33
3 Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.
<b>Regulatory treatment</b>			
4 Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5 Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6 Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7 Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8 Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	0	0	2400
9 Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10 Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11 Original date of issuance	10-Aug-07	29-Sep-07	1-Jan-08
12 Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13 Original maturity date	10-Aug-14	29-Sep-14	1-Jan-18
14 Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No
15 Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"Nil; ₹ 300.00"	"Nil; ₹ 40.00"	"Nil; ₹ 500.00"
16 Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
<b>Coupons / dividends</b>			
17 Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18 Coupon rate and any related index	9.59% p.a.	9.79% p.a.	9.35% p.a.
19 Existence of a dividend stopper	No	No	No
20 Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21 Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22 Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23 Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24 If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25 If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26 If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27 If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28 If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29 If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30 Write-down feature	No	No	No
31 If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32 If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33 If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36 Non-compliant transitioned features	No	No	No
37 If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

## समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

**तालिका डीएफ - 13: विनियामक पंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट**

निर्मांकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
	INE008A08L85	INE008A08M19	INE008A08M27
2 विशिष्ट पहचान (अर्थात् सीधे एप्पाइण्डी, आईएसआईएन या निजी नियोजन के लिए ब्लॉकवर्ह पहचान)	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडी का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश। 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडी का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश। 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडी का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश। 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.
विनियापक अधिक्रिया	टियर 2	टियर 2	टियर 2
4 संकरणकालीन वासेल III नियम	अपाव्र	अपाव्र	अपाव्र
5 उत्तर-संकरणकालीन वासेल III नियम	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
6 एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की प्राप्ति	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड
7 लिखत का प्रकार	1108.48	800	1433.92
8 विनियापक पूँजी में मात्र राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, इ प्रिलिवन में)	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
9 लिखत का सम्पूर्ण	देवता	देवता	देवता
10 लेखांकन वर्गीकरण	21 सितंबर 2006	16 नवंबर 2006	20 दिसंबर 2006
11 जारी करने की मूल तारीख	दिनांक	दिनांक	दिनांक
12 स्थायी या दिनांकित	21 सितंबर 2016	16 नवंबर 2016	20 दिसंबर 2016
13 मूल परिपक्वता तारीख	नहीं	नहीं	नहीं
14 पूर्व-परिवर्धी अन्योदयन के अधीन निर्मांकर्ता की मांग	शून्य; ₹ 346.40	शून्य; ₹ 250.00	शून्य; ₹ 448.10
15 वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	शून्य	शून्य	शून्य
16 अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों	स्थायी	स्थायी	स्थायी
कृपया / लाभांश	8.95% प्रतिवर्ष	8.85% प्रतिवर्ष	8.85% प्रतिवर्ष
17 रियर या अस्थिर लाभांश/ कृपया	नहीं	नहीं	नहीं
18 कृपया दर तथा अन्य संबंधित सुचकांक	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
19 लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	नहीं	नहीं	नहीं
20 पूँजी: विकासीयन, अंगत: विकासीयन या अनिवार्य	नहीं	नहीं	नहीं
21 वृद्धिशील या मोरचा के लिए अन्य प्रौत्त्याहनों की विद्युपानता	असंचयी	असंचयी	असंचयी
22 असंचयी या संचयी	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
23 परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
24 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25 यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26 यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णतः दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27 यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्मांकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30 अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
31 यदि अवलेखन, अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32 यदि अवलेखन, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33 यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34 यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35 परिसामान में गोणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिकारी योगा के लिखत का उल्लेख करें)	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गोण होंगे।	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गोण होंगे।	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गोण होंगे।
36 गैर-अनुपालनकर्ता संकरण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37 यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

# Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

**Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument**

1 Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2 Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08L85	INE008A08M19	INE008A08M27
3 Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.		
<b>Regulatory treatment</b>			
4 Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5 Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6 Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7 Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8 Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1108.48	800	1433.92
9 Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10 Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11 Original date of issuance	21-Sep-06	16-Nov-06	20-Dec-06
12 Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13 Original maturity date	21-Sep-16	16-Nov-16	20-Dec-16
14 Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No
15 Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"Nil; ₹ 346.40"	"Nil; ₹ 250.00"	"Nil; ₹ 448.10"
16 Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
<b>Coupons / dividends</b>			
17 Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18 Coupon rate and any related index	8.95% p.a.	8.85% p.a.	8.85% p.a.
19 Existence of a dividend stopper	No	No	No
20 Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21 Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22 Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23 Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24 If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25 If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26 If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27 If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28 If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29 If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30 Write-down feature	No	No	No
31 If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32 If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33 If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36 Non-compliant transitioned features	No	No	No
37 If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## तालिका डोएफ - 13: विनियापक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

### 1 निर्गमकर्ता

- 2 विशिष्ट पहचान (अर्थात् सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी विनियापन के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)
- 3 लिखत के शासी नियम

### विनियापक अधिक्रिया

- 4 संक्रमणकालीन बासेल III नियम
- 5 उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम
- 6 एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की प्राप्ति
- 7 लिखत का प्रकार
- 8 विनियापक पूँजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, इमिलियन में)
- 9 लिखत का सम्पन्न्य
- 10 लेखाकान वर्तीकरण
- 11 जारी करने की मूल तारीख
- 12 स्थायी या दिनांकित
- 13 मूल परिपक्वता तारीख
- 14 पूर्ण-परिपक्वता अनुपीड़न के अधीन निर्गमकर्ता की धारा
- 15 वैकल्पिक मांग तारीख, आक्रियिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि
- 16 अनुवर्ती मांग तारीख, यदि लागू हो
- कूपन / लाभांश
- 17 स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन
- 18 कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक
- 19 लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश
- 20 पूर्णतः विवेकाधीन, अशांत: विवेकाधीन या अनिवार्य
- 21 दुर्दिशील या मारक के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विद्यमानता
- 22 असंचयी या संचयी
- 23 परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय
- 24 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्तरक
- 25 यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णतः या अंशतः
- 26 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर
- 27 यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन
- 28 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के खलूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके
- 29 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे
- 30 अवलोखन विशेषताएँ
- 31 यदि अवलोखन, अवलोखन उत्तरक
- 32 यदि अवलोखन, पूर्ण या अशिक
- 33 यदि अवलोखन, स्थायी या अस्थायी
- 34 यदि अस्थायी अवलोखन, अवलोखन तंत्र का विवरण
- 35 परिसमाप्ति में गोपीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिकारी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)
- 36 गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएँ
- 37 यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख

### आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

INE008A08M35

- इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004.
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश.
- सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.

### आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

INE008A08M43

- इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004.
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देश.
- सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.

### आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

INE008A08A54

- बांड इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के संख्या बहिर्गमन तथा अंतर्नियम, इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004, कंपनी अधिनियम, 1956, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के प्रवाचनों और भारत सरकार, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक तथा संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिपूत्रियों के आवंटन तथा सुचीबद्धता के लिए संरचित सांविधिक दिशानिर्देशों तथा विनियमों के अधीन होंगे.

टियर 2

आपात्र

समूह एवं एकल

गौण (अवर) टियर II बॉण्ड

960

₹ 10 लाख

देवता

22 दिसंबर 2006

दिनांक

22 दिसंबर 2016

नहीं

शून्य;

₹ 300.00

शून्य

स्थायी

8.95% प्रतिवर्ष

नहीं

अनिवार्य

नहीं

असंचयी

अपरिवर्तनीय

लागू नहीं

# Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

**Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument**

1 Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2 Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE08A08M35	INE08A08M43	INE08A08A54
3 Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.		
<b>Regulatory treatment</b>			
4 Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5 Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6 Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7 Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8 Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	960	109.76	80
9 Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10 Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11 Original date of issuance	22-Dec-06	5-Feb-07	30-Mar-05
12 Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13 Original maturity date	22-Dec-16	5-Feb-17	30-Jun-15
14 Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No
15 Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"Nil; ₹ 300.00"	"Nil; ₹ 34.30"	"Nil; ₹ 50.00"
16 Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
Coupons / dividends			
17 Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18 Coupon rate and any related index	8.95% p.a.	8.90% p.a.	7.15% p.a.
19 Existence of a dividend stopper	No	No	No
20 Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21 Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22 Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23 Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24 If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25 If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26 If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27 If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28 If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29 If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30 Write-down feature	No	No	No
31 If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32 If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33 If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36 Non-compliant transitioned features	No	No	No
37 If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## तालिका डोएफ - 13: विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1 निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08A70	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08B04	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08B87
2 विशिष्ट पहचान (अर्थात् सीध्याएसआईपी, आईएसआईएन या नियंत्रित विधान के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	बांड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के संस्था बहिर्भास तथा अंतर्रियम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडो का नियंत्रण एवं प्रबंध) नियम, 2004, कंपनी अधिनियम, 1956, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और भारत सरकार, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक तथा संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियों के आवंटन तथा सुचीबद्धता के लिए संबंधित सांविधिक दिशानिर्देशों तथा विनियमों के अधीन होगे।	बांड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के संस्था बहिर्भास तथा अंतर्रियम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडो का नियंत्रण एवं प्रबंध) नियम, 2004, कंपनी अधिनियम, 1956, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और भारत सरकार, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक तथा संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियों के आवंटन तथा सुचीबद्धता के लिए संबंधित सांविधिक दिशानिर्देशों तथा विनियमों के अधीन होगे।	बांड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के संस्था बहिर्भास तथा अंतर्रियम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडो का नियंत्रण एवं प्रबंध) नियम, 2004, कंपनी अधिनियम, 1956, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और भारत सरकार, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक तथा संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियों के आवंटन तथा सुचीबद्धता के लिए संबंधित सांविधिक दिशानिर्देशों तथा विनियमों के अधीन होगे।
3 लिखत के शासी नियम			
4 विनियामक अधिक्रिया	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5 संक्रमणकालीन बासेल III नियम	आपात	आपात	आपात
6 एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7 लिखत का प्रकार	गोण (अवर) टियर II बॉण्ड	गोण (अवर) टियर II बॉण्ड	गोण (अवर) टियर II बॉण्ड
8 विनियामक पूँजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, इमिलियन में)	0	160	276.48
9 लिखत का सम्पूर्ण	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10 लेडाकन वर्गीकरण	देवता	देवता	देवता
11 जारी करने की मूल तारीख	31 मार्च 2005	8 अप्रैल 2005	8 जून 2005
12 स्थायी या दिनांकित	दिनाक	दिनाक	दिनाक
13 मूल परिपक्वता तारीख	31 मार्च 2015	8 अप्रैल 2015	8 जून 2015
14 पूँजी-पर्यावरी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	नहीं	नहीं	नहीं
15 वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	शून्य;	शून्य;	शून्य;
16 अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हो	₹ 126.30	₹ 100.00	₹ 172.80
कूपन / लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य
17 स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	स्थायी	स्थायी	स्थायी
18 कूपन दर तथा अन्य संबंधित सुचाकांक	7.25% प्रतिवर्ष	7.25% प्रतिवर्ष	7.50% प्रतिवर्ष
19 लाभांश रोकने संबंधी अनुमेय	नहीं	नहीं	नहीं
20 पूँजी विवेकाधीन, अंशतः विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21 दुर्दिशील या मोरत के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं
22 असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23 परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्तरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25 यदि परिवर्तनीय हो तो पूँजी: या अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26 यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27 यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29 यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30 अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31 यदि अवलेखन, अवलेखन उत्तरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32 यदि अवलेखन, पूँजी या अधिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33 यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34 यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35 परिसमाप्त में गोपीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिष्ठानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	लिखत अन्य लेनदारों के द्वारा से गोण होगे.	लिखत अन्य लेनदारों के द्वारा से गोण होगे.	लिखत अन्य लेनदारों के द्वारा से गोण होगे.
36 गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
37 यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

# Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

**Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument**

1 Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2 Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08A70	INE008A08B04	INE008A08B87
3 Governing law(s) of the instrument	The Bonds will be subject to the provisions of the Memorandum and Articles of Association of the Industrial Development Bank of India Limited, Industrial Development Bank of India Ltd.(Issue and Management of Bonds) Rules, 2004, the Companies Act, 1956, Banking Regulations Act, 1949, relevant statutory guidelines and regulations for allotment and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GOI), SEBI, Reserve Bank of India (RBI) and the Stock Exchanges concerned.		
<b>Regulatory treatment</b>			
4 Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5 Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6 Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7 Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8 Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	0	160	276.48
9 Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10 Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11 Original date of issuance	31-Mar-05	8-Apr-05	8-Jun-05
12 Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13 Original maturity date	31-Mar-15	8-Apr-15	8-Jun-15
14 Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No
15 Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"Nil; ₹ 126.30"	"Nil; ₹ 100.00"	"Nil; ₹ 172.80"
16 Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
Coupons / dividends			
17 Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18 Coupon rate and any related index	7.25% p.a.	7.25% p.a.	7.50% p.a.
19 Existence of a dividend stopper	No	No	No
20 Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21 Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22 Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23 Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24 If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25 If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26 If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27 If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28 If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29 If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30 Write-down feature	No	No	No
31 If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32 If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33 If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36 Non-compliant transitioned features	No	No	No
37 If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

## तालिका डोएफ - 13: विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1 निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08C52	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE008A08E76	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड INE307A09014
2 विशिष्ट पहचान (अर्थात् सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या नियंत्रित विधान के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	बांड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आई इंडिया लिमिटेड के संस्था बहिरामन तथा अंतर्राष्ट्रीय, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आई इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्माण एवं प्रबंध) नियम, 2004, कंपनी अधिनियम, 1956, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और भारत सरकार, सेवा, भारतीय रिजर्व बैंक तथा संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियों के आवंटन तथा सुचीबद्धता के लिए संबंधित सांविधिक दिशानिर्देशों तथा विनियमों के अधीन होगे।	बांड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आई इंडिया लिमिटेड के संस्था बहिरामन तथा अंतर्राष्ट्रीय, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आई इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्माण एवं प्रबंध) नियम, 2004, कंपनी अधिनियम, 1956, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और भारत सरकार, सेवा, भारतीय रिजर्व बैंक तथा संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियों के आवंटन तथा सुचीबद्धता के लिए संबंधित सांविधिक दिशानिर्देशों तथा विनियमों के अधीन होगे।	आंकर किए जा रहे बांड अन्य बातों के साथ साथ इस आंकर दस्तावेज के निबंधों, आवेदन फॉर्म, बैंक के संस्था बहिरामन तथा अंतर्राष्ट्रीय और अधिनियम के प्रावधानों के अधीन हैं। इसके अलावा बांड ऐसे निबंधों एवं शर्तों जो बांड न्याय विनेश्व/आवंटन पत्र में शामिल किए जाएं और लागू सीमा तक डिपार्टमेंटरी अधिनियम, 1996 के प्रावधानों, भारत सरकार, सेवा तथा संबंधित स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रतिभूतियों के आवंटन तथा सुचीबद्धता के लिए समय-समय पर जारी संबंधित सांविधिक दिशानिर्देशों तथा विनियमों के अधीन होंगे।
3 लिखत के शासी नियम			
4 संक्षणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5 उत्तर-संक्षणकालीन बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6 एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7 लिखत का प्रकार	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड
8 विनियामक पूँजी में मात्रा राशि (अवंटन रिपोर्टिंग तारीख तक, विनियमों के अन्तर्वर्ती)	265.12	170.24	0
9 लिखत का सम्पर्क	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10 लेखांकन वर्तीकरण	देवता	देवता	देवता
11 जारी करने को पूँल तारीख	20 जुलाई 2005	27 सितंबर 2005	19 मार्च 2004
12 स्थायी या दिनांकित	दिनांक	दिनांक	दिनांक
13 मूल परिपक्वता तारीख	20 जुलाई 2015	27 अप्रैल 2016	19 जुलाई 2014
14 पूँजी-पर्यवर्ती अनुपादन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	नहीं	नहीं	नहीं
15 वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	शून्य: ₹ 165.70	शून्य: ₹ 53.20	शून्य: ₹ 125.00
16 अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों	शून्य	शून्य	शून्य
कूपन / लाभांश	स्थायी	स्थायी	स्थायी
17 स्पैर या अधिकार लाभांश/ कूपन	7.45% प्रतिवर्ष	7.45% प्रतिवर्ष	6.50% प्रतिवर्ष
18 कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	नहीं	नहीं	नहीं
19 लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
20 पूँजी-विवेकाधीन, अंशतः विवेकाधीन या अनिवार्य	नहीं	नहीं	नहीं
21 बद्धप्रील या मोदन के लिए अन्य प्रोत्त्वात्मकों का विडामानना	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी
22 असंचयी या संचयी	अपरिवर्तीय	अपरिवर्तीय	अपरिवर्तीय
23 परिवर्तीय या अपरिवर्तीय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
24 यदि परिवर्तीय हो तो परिवर्तन उत्तरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25 यदि परिवर्तीय हो तो पूँजी- या अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26 यदि परिवर्तीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27 यदि परिवर्तीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28 यदि परिवर्तीय हो तो निखत के रूपरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29 यदि परिवर्तीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत का प्रावित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30 अवलोखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31 यदि अवलोखन, अवलोखन उत्तरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32 यदि अवलोखन, पूर्ण या अंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33 यदि अवलोखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34 यदि अस्थायी अवलोखन, अवलोखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35 परिसमाप्त में गौणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरन्त अधियानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गोण होगे।	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गोण होगे।	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गोण होंगे।
36 गैर-अनुपालनकर्ता संक्षण विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
37 यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

# Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

**Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument**

1 Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2 Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08C52	INE008A08E76	INE307A09014
3 Governing law(s) of the instrument	The Bonds will be subject to the provisions of the Memorandum and Articles of Association of the Industrial Development Bank of India Limited, Industrial Development Bank of India Ltd.(Issue and Management of Bonds) Rules, 2004, the Companies Act, 1956, Banking Regulations Act, 1949, relevant statutory guidelines and regulations for allotment and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GOI), SEBI, Reserve Bank of India (RBI) and the Stock Exchanges concerned.	The Bonds will be subject to the provisions of the Memorandum and Articles of Association of the Industrial Development Bank of India Limited, Industrial Development Bank of India Ltd.(Issue and Management of Bonds) Rules, 2004, the Companies Act, 1956, Banking Regulations Act, 1949, relevant statutory guidelines and regulations for allotment and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GOI), SEBI, Reserve Bank of India (RBI) and the Stock Exchanges concerned.	The Bonds being offered are subject, inter alia to the terms of this Offer Document, the application form, the Memorandum and Articles of Association of the Bank, and the provisions of the Act. In addition, the bonds shall be subject to such other terms and conditions to be incorporated in the Bond Trust Deed / Letter of allotment and to the extent applicable, the provisions of the Depositories Act 1996, the relevant Statutory Guidelines and Regulations for allotment and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GoI), SEBI and the Stock Exchanges concerned.
<b>Regulatory treatment</b>			
4 Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5 Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6 Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7 Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8 Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	265.12	170.24	0
9 Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10 Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11 Original date of issuance	20-Jul-05	27-Sep-05	19-Mar-04
12 Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13 Original maturity date	20-Jul-15	27-Apr-16	19-Jul-14
14 Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No
15 Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"Nil; ₹ 165.70"	"Nil; ₹ 53.20"	"Nil; ₹ 125.00"
16 Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
Coupons / dividends			
17 Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18 Coupon rate and any related index	7.45% p.a.	7.45% p.a.	6.50% p.a.
19 Existence of a dividend stopper	No	No	No
20 Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21 Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22 Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23 Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24 If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25 If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26 If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27 If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28 If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29 If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30 Write-down feature	No	No	No
31 If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32 If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33 If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36 Non-compliant transitioned features	No	No	No
37 If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

# समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

**तालिका डीएफ - 13: विनियामक पंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट**

1	निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	INE979F08037
2	विशिष्ट पहचान (अर्थात् सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियोजन के लिए ब्लूम्पर्सग पहचान)		
3	लिखत के शासी नियम		
4	संक्रमणकालीन बासेल III नियम	टिवर 2	टिवर 2
5	उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	अपावृ	अपावृ
6	एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की प्रतीता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	गौण (टिवर) टिवर II बॉण्ड	गौण (टिवर) टिवर II बॉण्ड
8	विनियापक मुँह में मान्य राशि (अद्वान रिपोर्टिंग तारीख तक, इ मिलियन में)	64	320
9	लिखत का सम्पर्क	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10	लेखांकन वर्गीकरण	देवता	देवता
11	जारी करने को मूल तारीख	9 फरवरी 2007	28 मार्च 2009
12	स्थायी या दिनांकित	दिनाक	दिनाक
13	मूल परिपवर्तन तारीख	9 फरवरी 2017	27 मार्च 2019
14	पूर्व-परिवर्ती अनुदेशन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक भोग तारीख और प्रतिदान राशि	शून्य;	शून्य;
16	अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों	₹ 20.00	₹ 50.00
	कूपन / लाभांश	शून्य	शून्य
17	स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	9.25% प्रतिवर्ष	10.50% प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	नहीं	नहीं
20	पूर्णतः विकालीन, अंशतः विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	द्विदिशील या मोर्चन के लिए अन्य प्रत्याहारों की विवाहानता	नहीं	नहीं
22	असंबंधी या संबंधी	असंबंधी	असंबंधी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, पूर्ण या आशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसामाप्त में गौणीकरण अनुक्रम में स्थिति के लिखत के तुरंत अविद्युतीकरण के लिखत का उल्लेख करें।	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होगे।	
36	गैर-अनुपालनकर्ता संकेतण विवरणतार्ता	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं

**तालिका डीएफ-14:** बैंक द्वारा जारी विनियामक पंजी लिख्रतों की शर्तें व निबंधन

“डीएफ-14: बैंक द्वारा जारी विनियामक पूँजी लिखतों की शर्तें वेबसाइट पर at <http://www.idbi.com/pdf/basel/DF14-TermSheets-March2014/DF-14.htm>” पर उपलब्ध हैं।

# Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

**Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument**

1 Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2 Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE979F08029	INE979F08037
3 Governing law(s) of the instrument	"The Bonds will be subject to the provisions of the Memorandum of Association and within the general borrowing limits within the overall borrowing limits of the company and as per the norms stipulated by the National Housing Bank (NHB). 2.The private placement of bonds is being made pursuant to the resolutions of the Board of Directors passed at its meetings dated January 30, 2006. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 (as amended from time to time)." "	"The Bonds will be subject to the provisions of the Memorandum of Association and within the general borrowing limits within the overall borrowing limits of the company and as per the norms stipulated by the National Housing Bank (NHB). 2.The private placement of bonds is being made pursuant to the resolutions of the Board of Directors passed at its meetings dated January 30, 2006. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 (as amended from time to time)." "
<b>Regulatory treatment</b>		
4 Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5 Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
6 Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo
7 Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8 Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	64	320
9 Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10 Accounting classification	Liability	Liability
11 Original date of issuance	9-Feb-07	28-Mar-09
12 Perpetual or dated	Dated	Dated
13 Original maturity date	8-Feb-17	27-Mar-19
14 Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No
15 Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"Nil; ₹ 20.00"	"Nil; ₹ 50.00"
16 Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil
Coupons / dividends		
17 Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18 Coupon rate and any related index	9.25% p.a.	10.50% p.a.
19 Existence of a dividend stopper	No	No
20 Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
21 Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22 Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative
23 Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24 If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA
25 If convertible, fully or partially	NA	NA
26 If convertible, conversion rate	NA	NA
27 If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA
28 If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA
29 If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA
30 Write-down feature	No	No
31 If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA
32 If write-down, full or partial	NA	NA
33 If write-down, permanent or temporary	NA	NA
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36 Non-compliant transitioned features	No	No
37 If yes, specify non-compliant features	NA	NA

**Table DF-14: Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments issued by the Bank**

"DF- 14 The Term Sheets for regulatory capital instruments issued by the Bank are available on the website at <http://www.idbi.com/pdf/basel/DF14-TermSheets-March2014/DF-14.htm>"